TITLE CODE : UPHIN49731

राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

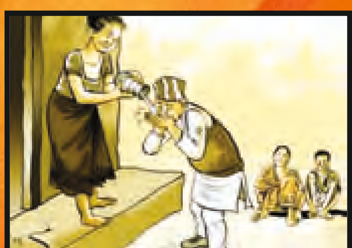
बसावन इंडिया

वर्ष : 2, अंक : 09-10 आजमगढ़ • मार्च-अप्रैल (संयुक्तांक) 2023 • मूल्य : ₹30

हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं?



6 के 56 यादव एसडीएम?



ब्राहमणों ने जातियां नहीं बनाई तो किसने बनाई



विवाहों का बदता स्वरुप

संपादकीय

'हिंदू राष्ट्र है कौन सी बला, कोई तो बताए भला'

आज कल हिंदू राष्ट्र का शोर चारो ओर जोर-शोर से सुनाई देने लगा है, तमाम बाबा, यहाँ वाले, वहाँ वाले, कहीं वाले से लेकर अखंड कथाओं में हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे लगाए जा रहे हैं। गली मोहल्लों में हिंदू राष्ट्र बनाने के पोस्टर और नारे से लेकर सोशल मीडिया पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है पर इस हिंदू राष्ट्र में होगा क्या,कैसा होगा, इसका स्वरूप बताने वाला कोई नहीं है। जब यह पता न हो कि कोई चीज कैसी है तो इसकी स्थिति अंधों के बीच हाथी की कहानी जैसी हो जाती है।

कौन है हिंदू? इस बात पर भी राय बहुत अलग-अलग है। 'मैं हिंदू क्यों हूं?' मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ? इस पर भी किताब लिखी गई है। आजाद देश में, मैं हिंदू क्यों नहीं? लिखने और पढ़ने वालों या विश्वास करने वालों का क्या होगा? प्रसिद्ध समाजशास्त्री कांचा इलैया शेफर्ड (जो गडरिया जाति से हैं) मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ इसे सुसंगठित, तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं और सिद्ध करते हैं कि भारत भूमि पर रहने वाले दलित बहुजन हिंदू क्यों नहीं हैं? यही नहीं उन्होंने हिंदुत्व से मुक्त भारत की तस्वीर पेश करती वैज्ञानिकता और तार्किकता से भरपूर पुस्तक Post Hindu India (हिंदुत्व मुक्त भारत) लिखी है। ऐसे में जो गड़ेरिया,अहीर, धोबी, पासी, नाई, आदिवासी अपने को हिंदू नहीं मानते, उनका हिंदू राष्ट्र में क्या स्थिति होगी?

कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र हैं। कई इस्लामिक, ईसाई राष्ट्र हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? इस्लामिक राष्ट्र, इसाई राष्ट्र हो या न हो, ये उन देशों का मामला है। फिर भी इतना जरूर है कि इस्लाम, इसाइयत के सिद्धांत उनकी किताबें में नियमबद्ध/ संहिताबद्ध हैं। उन पर चलना, उन नियमों को मानना, उसकी व्याख्या करना, उस देश, उस राष्ट्र के लोगों का काम है। अब सवाल उठता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके क्या पाना चाहते हैं? किस पुस्तक को आधार मानेंगें। गीता, मनुस्मृति या रामचरितमानस या कोई और। खास बात यह है जिन पुस्तकों पर हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें से ज्यादातर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था यानी कि विषमता की व्यवस्था की पोषक है। ऐसे में लोकतांत्रिक युग में हिंदू राष्ट्र यदि बनता है तो 75 वर्षों से लोकतंत्र का स्वाद चख चुके लोग क्या हिंदू राष्ट्र को स्वीकार करेंगे? भारत की सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक जीवन पर हिंदुत्व यानी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का चाक चौबंद कब्जा है। धार्मिक जीवन में केवल कुछ एक जाति के लोगों का कब्जा है। थानों, कचहरियों, स्कूलों, सरकारी बिल्डिंगों से लेकर पार्कों तक में हिंदू मंदिरों, देवी-देवताओं को स्थान मिल रहा है। सरकारी कार्यालयों में किसी कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती वंदना भी होने लगी है। इन सबसे आगे क्या और होगा? उसका एजेंडा क्या होगा? यह सब स्पष्ट नहीं है?

ऐसी स्थिति में डॉ. अंबेडकर का वह कथन बहुत प्रासंगिक हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू राज/राष्ट्र को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ऐसा क्यों और किस मनःस्थिति में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा होगा, लेकिन उन्हें इस बात का भान था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश होगी। इस कोशिश को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए क्या-क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, यह सोचने का वक्त आ गया है। अप्रैल के महीने में फूले-अंबेडकर जयंती पड़ती है और देश में ही नहीं, दुनिया भर में इसकी धूम होगी, इस उत्सव की बेला में हिंदू राष्ट्र की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ऐसे में उत्सव को शोर-शराबे से बचाने, खतरे पर चिंतन-मनन भी करने का गंभीर वक्त आ गया है। फिलहाल अंबेडकर जयंती और सामाजिक न्याय माह की शुभकामनाएं।

नरेन्द्र

TITLE CODE : **UPHIN49731**
आज़मगढ़ (उ.प्र.) ▪ माह - मार्च - अप्रैल
सन् - 2023 ▪ वर्ष - 2 अंक - 9-10

बसावन इंडिया

संपादक
नरेन्द्र प्रताप
मो.: +91 94531 71770

सह-संपादक
डॉ. नरेश कुमार साहू
मो.: +91 99211 10844

प्रबंध संपादक
एड. देशराज (लखनऊ)
मो.: +91 9415767238

सह प्रबंध संपादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
विक्रमजीत, सुधा सिंह,
कमलेश यादव, मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर - परिभाषा
छत्तीसगढ़ - डॉ. जितेन्द्र सोनकर
मध्यप्रदेश - तेजबहादुर
महाराष्ट्र - अकाश खोब्रागड़े
राजस्थान - डॉ. कालूलाल कुलमी
प्रयागराज - धैर्य मित्र सिंह
कुशीनगर - कोमल प्रसाद
पूर्वांचल - रमामांत यादव
मिर्जापुर - एस.एम. सबा
बलिया - विनय कुमार
देवरिया - डॉ. सुनील कुमार
गोरखपुर - डॉ. विरेन्द्र कुमार
सरगुजा संभाग - कृष्णा पैकरा

विधिक सलाहकार
अमरजीत चक्रवर्ती - +91 94150 88452
रविशंकर यादव - +91 94159 48169

डिजाइन एंड ले-आउट
इरफान खान - +91 93299 60007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वार, आजमगढ़,
उत्तर प्रदेश पिन- 276 001
Email : basavanindia@gmail.com
www.facebook//बसावन इंडिया
+91 9453171770

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी नरेन्द्र प्रताप द्वारा मेट्रो प्रिंटर्स, डी 102, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, (उ.प्र.) से मुद्रित व शहीद द्वार सिविल लाइन, आजमगढ़ (उ.प्र.), पिन- 276 001 से प्रकाशित

इस अंक की झलकियां

www.theforthstate.in
बसावन इंडिया के आर्टिकल्स द फोर्थ स्टेट डॉट इन पर भी पढ़े जा सकते हैं।





08 **6 के 56 यादव एसडीएम ?** - 86 में 56 यादव को एसडीएम को लेकर विधान सभा में तीखी बहस से एक बार फिर से यादव एसडीएम का मुद्दा गरमा गया है।...

16 **ब्राहमणों ने जातियां नहीं बनाई तो किसने बनाई** - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सुप्रीमो मोहन भागवत ने वह कह दिया, जिसे कहने का साहस बहुत कम..





22 **बिलकिस बानो केस में नया मोड़** - सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका में केंद्र और...

31 **आरक्षण बचाओं ऐतिहासिक महाआन्दोलन** - भोपाल के भेल दशहरा मैदान में देश के कोने कोने से लोगों का जन शैलब उमड़ पड़ा।...

हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं?


हिंदू प्रदर्शनकारी

"अगर हिंदू राज हकीकत बनता है, तो वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लिए खतरा है। इन पैमानों पर वह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।" - **डॉ. आंबेडकर**

▪ नरेन्द्र प्रताप

हिंदू राष्ट्र को डॉ. आंबेडकर लोकतांत्रिक भारत के लिए एक बड़ा खतरा मानते थे और उसे हर कीमत पर रोकना चाहते थे। इस खतरे को रेखांकित करते हुए उन्होंने आज से करीब 80 वर्ष पहले लिखा था कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है, तो वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लिए खतरा है। इन पैमानों पर वह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। आखिरकार डॉ. आंबेडकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से इतने चिंतित क्यों थे? क्या इसका एकमात्र कारण यह था कि हिंदू राष्ट्र के अस्तित्व में आ जाने के बाद उसमें मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की दोयम दर्जे की स्थिति होगी?

डॉ. आंबेडकर को इसका अहसास बहुत पहले हो चुका था। वे हिंदू धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र को मुसलमानों के साथ-साथ दमित वर्गों के भी खिलाफ मानते थे। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जिस हिंदू धर्म पर आधारित है, वे उसे एक धार्मिक विचारधारा की जगह राजनीतिक विचारधारा मानते थे। उसे लोकतंत्र के पूर्णतया खिलाफ एक फासीवादी विचारधारा के रूप में चिन्हित करते हुए वे लिखते हैं- "हिंदू धर्म एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है, जो पूर्णतः लोकतंत्र-विरोधी है और जिसका चरित्र फासीवाद और/या नाजी विचारधारा जैसा ही है। अगर हिंदू धर्म को खुली छूट मिल जाए- और हिंदुओं के बहुसंख्यक होने का यही अर्थ है- तो वह उन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देगा जो हिंदू नहीं हैं या हिंदू धर्म के विरोधी हैं। यह केवल मुसलमानों का दृष्टिकोण नहीं है। दमित वर्गों और गैर-ब्राह्मणों का भी यही दृष्टिकोण है।"

बढ़ी हिंदू राष्ट्र की बोल

धार्मिक गुरुओं और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से चली आ रही है लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, ज्यादा बढ़ी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ, तब इसे आरएसएस के शक्ति-विस्तार के रूप में प्रचारित किया



हरिद्वार में तीन दिवसीय धर्म संसद

क्या है हिंदू राष्ट्र की रूप रेखा?

हरिद्वार में धर्म संसद, प्रयागराज में धर्म संसद और रायपुर में धर्म सभा का आयोजन। प्रयागराज में आयोजित धर्म संसद ने भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाने की संकल्पना साकार करने की दिशा में संतों ने काम भी शुरू कर दिया है। इस संसद में यह रूप रेखा खिंची गई कि हिंदू राष्ट्र का अपना संविधान होगा, जिसे 'हिंदू राष्ट्र संविधान' नाम दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्वत परिषद के महामंत्री डा. कामेश्वर उपाध्याय संविधान निर्माण के संयोजक बनाए गए हैं। इनके अंतर्गत कानून के जानकार, शास्त्र मर्मज्ञ व सुरक्षा विशेषज्ञों की तीन समितियां बनेंगी। हर समिति में कम से कम 25 लोग शामिल होंगे। इसमें सिख, बौद्ध, जैन सहित 127 पंथों के प्रतिनिधि सम्मलित होंगे। श्रावण मास तक 'हिंदू राष्ट्र संविधान' का प्रारूप तैयार करने का लक्ष्य है, जबकि 2023 के माघ मेला में धर्म संसद संचालन समिति संत सम्मेलन का आयोजन कर उसमें नए संविधान को संतों व श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत करेगी। देश के 543 संसदीय क्षेत्रों में सांसद की जगह 'धर्म सांसद' का निर्वाचन होगा। हिंदू राष्ट्र के संविधान में धर्म सांसदों के निर्वाचन की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और मतदाताओं की 16 वर्ष होगी। मुस्लिमों को सम्मान व सुरक्षा मिलेगी लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा।

'हिंदू राष्ट्र संविधान' में गीता, श्रीराम चरितमानस, मनु स्मृति सहित समस्त वेद, पुराणों के अंश शामिल होंगे। मातृकुल (गुरुकुल) शिक्षा अनिवार्य होगी। इसमें तीन से आठ वर्ष के बालक, बालिकाओं को गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करनी होगी। तभी उन्हें अन्य विद्यालयों में जाने की अनुमति मिलेगी।

गया। संघ के संस्थापकों ने अपने लक्ष्य यानी हिंदू राष्ट्र की प्राप्ति के लिए सौ वर्ष की कालावधि तय की थी। कहा जा सकता है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में वे बहुत हद तक सफल भी हुए। हर थाने में मंदिर, कचहरी व सरकारी कार्यलय से लेकर स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय में भी मंदिर बन गये है। संवैधानिक और कानूनी तौर पर भले ही भारत आज भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, लेकिन वास्तविक और व्यावहारिक अर्थों में यह एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है, भले ही यह सब कुछ काफी हद तक अघोषित और अनौपचारिक तौर पर हुआ दिखता हो। अब तो संविधान में तब्दीली करके इसे एक हद तक संवैधानिक और औपचारिक शक्ल भी दी जा चुकी है। अधिकांश संवैधानिक संस्थाओं का हिंदूकरण किया जा चुका है या हो रहा है।

कौन मांग रहा है हिंदू राष्ट्र



योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक सभी इन दिनों भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। चमत्कारी शक्तियों का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपनी कथाओं में हिन्दू राष्ट्र बनाए जाने के लिए लगातार लगे हुए हैं, लोगों से हाथ उठवा कर संकल्प भी दिला रहे हैं की वो हिन्दू राष्ट्र बनाने का संकल्प लें। सीहोर वाले कथा



पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री

वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा देश को पहले से ही हिंदू राष्ट्र मानते हैं सबके साथ समानता का व्यवहार करना ही सच्चा सनातन धर्म है। अब भले ही उनके हिन्दू राष्ट्र में समानता का व्यवहार हो या न हो|

हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सवर्ण जातियां मुखर है। देश में सवर्ण जातियां अथवा कुछ राजनीतिक दल हैं जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीती कर रहे हैं। जिनका मेरुदंड धर्म है।



पं. प्रदीप मिश्रा

हिंदू राष्ट्र का विरोध

कई लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. विक्रम कहते है कि हिंदू धर्म पर आधारित कोई भी समाज और राष्ट्र बहुसंख्यक लोगों को न्याय नहीं दे सकता और ना ही उनका हित कर सकता है, क्योंकि हिंदुत्व का दर्शन मुट्ठीभर लोगों के विशेषाधिकारों के लिए रचा गया है, विशेष तौर पर ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करने के लिए। इनका मानना है कि "हिंदुत्व का दर्शन न्याय और उपयोगिता की कसौटी पर किसी प्रकार से खरा नहीं उतरता है। हिंदू धर्म की रुचि सर्वसाधारण लोगों में नहीं है। उसकी रुचि एक वर्ग के हित में केंद्रित है और उसके दर्शन में सामान्य मनुष्य तथा उसके साथ संपूर्ण समाज के हितों को महामानवों (ब्राह्मणों) के हितों के लिए नकारा गया है, दबाया गया है और उसकी बलि चढाई गई है।"

डॉ. आंबेडकर इस तथ्य से पूरी तरह मुतमइन थे कि जब तक भारतीय समाज का बहुसंख्यक हिस्सा, बहुजन समाज, हिंदू धर्म-दर्शन से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक न तो उसे वर्ण-जाति व्यवस्था जनित दोयम दर्जे की स्थिति से पूर्ण मुक्ति मिल सकती है और ना ही महिलाएं पुरुषों के वर्चस्व एवं अधीनता की स्थिति से बाहर निकल सकती हैं। हिंदू धर्म-दर्शन के दायरे से बहुजन समाज को बाहर लाने के लिए वे आजीवन संघर्ष और लेखन करते रहे। यह अकारण नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करने की घोषणा 1935 में ही कर दी थी

हिंदू राष्ट्र बना तो सबसे उपरी पायदान पर कौन होगा

थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है, हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद देश की विभिन्न जातियों का क्या होगा। जातीय श्रेष्ठता क्रम में सबसे ऊपर कौन होगा? भारतीय जातीय श्रेष्ठता क्रम में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, इसके बाद क्षत्रियों की स्थिति है फिर वैश्य और सबसे अंत में शूद्र आता है शूद्रों में भी दो विभाजन है सछूत और अछूत। लगभग सभी पिछड़ी जातियां जो शूद्र में शामिल है सछूत की श्रेणी में हैं अछूत वर्ग में देश की ज्यादातर अनुसूचित जातियां शामिल हैं।

हिन्दू राष्ट्र में दलित पिछड़े और महिलाओं की स्थिति

हिंदू राष्ट्र के अर्थ को धार्मिक अल्पसंख्यकों के दमन तक सीमित करना या व्याख्यायित करना उसकी बहुत ही



डॉ. विक्रम
असि. प्रोफेसर इलाहबाद विवि.

"थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि हिंदू राष्ट्र बन जाने सारी जातियों के साथ समान व्यवहार होगा तो क्या उन सभी जातियों के मध्य शादी-विवाह का रिश्ता हो सकेगा। देश के कई क्षेत्रों में आज भी छुआ छूत भयानक रूप से व्याप्त है जहाँ की पानी पीने के मटके को छू देने भर से दलित छात्र की इतनी बर्बरता से पिटाई की जाती है कि उसकी मौत हो जाति है, आज भी राजस्थान के कई हिस्सों में दलित जाति के लोग अपनी शादियों में घोड़े पर नहीं चढ़ सकते हैं। दूसरी जाति में शादी करने पर देश में आज भी बड़े पैमाने पर आनर किलिंग के मामले आते हैं।"

सतही व्याख्या है, जो यह मानती है कि हिंदू राष्ट्रवाद के मूल में सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति घृणा है। परंतु यह घृणा, हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा की केवल ऊपरी सतह है। सच यह है कि हिंदू राष्ट्र जितना मुसलमानों या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों



ओ. पी. पाल
वरिष्ठ लेखाकार (रिटायर्ड)

"हिंदू राष्ट्र में अछूत जातियों का क्या होगा जिनकी की परछाई से भी परहेज किया जाता है, देश के बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ की दलितों का प्रवेश वर्जित है, क्या उन्हें मंदिरों में पूजा का स्थान मिल सकेगा। बहुत दिन नहीं हुए हैं जब तमिलनाडु की स्टॅलिन सरकार ने मदिरों में पुजारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षण लागू किया तो तमिल नाडु की भाजपा इकाई द्वारा इसका जैम कर विरोध किया गया। हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद क्या अछूतों को भी पूजा करवाने और मंदिर का पुजारी नियुक्त किये जा सकेंगे। अछूत के साथ साथ उन सछूत शूद्रों का क्या होगा जिनके सत्ता से जाते ही कुर्सियां को गंगा जल से धो कर पवित्र किया गया था। देश में बहुत सी आदिवासी जातियां हैं जो न तो हिंदू हैं और न ही मुस्लिम। उनका अपना स्थानीय धर्म है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद उन आदिवासी जातियों का क्या होगा। जातीय श्रेष्ठता के किस क्रम में उन्हें स्थान मिलेगा। उन्हें उच्च दर्जा मिलेगा या निम्न दर्जा मिलेगा ? यदि उन्हें निम्न दर्जे में शामिल किया जाता है तो वे हिंदू राष्ट्र में क्यों शामिल होंगे। उन्हें लिए तो धर्म निरपेक्ष भारत ही सही है जहाँ उनकी अपनी सभ्यता संस्कृति है"

के लिए खतरा है, उतना ही खतरा वह हिंदू धर्म का हिस्सा कहे जाने वाले दलितों, पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और उन महिलाओं के लिए भी है, जिन्हें हिंदू धर्म दोयम दर्जे का ठहराता है और द्विजों और पुरुषों की सेवा करना ही जिनका कर्तव्य घोषित करता है। यह उन आदिवासियों के लिए भी उतना ही खतरनाक है, जो अपने प्राकृतिक धर्म का पालन करते हैं और काफी हद तक समता की जिंदगी जीते हैं, तथा जिनका हिंदूकरण करने और वर्ण-जाति व्यवस्था एवं पितृसत्ता की असमानताकारी व्यवस्था के भीतर जिन्हें


आदिवासियों द्वारा प्रकृति पूजा


शिवा जी



डॉ. रोशनलाल सोनकर
असि. प्रोफेसर, इलाहबाद विवि.

"2008 तक नेपाल धरती का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, वहाँ क्षत्रीय राजवंश का ख़ात्मा हुआ और 2008 में नेपाल गणतंत्र बना,सवाल ये है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र क्यों कहा जाता था, क्योंकि हिंदू संहिता मनुस्मृति के अनुसार कार्यकारी सत्ता का स्रोत राजा है, लेकिन क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र केवल इसी संदर्भ में था, तो क्या हम लोक तंत्र से राजतन्त्र की तरफ जायेंगे, जहाँ राष्ट्र प्रमुख का पद अनुवांशिक होगा। फिर वही होगा की राजा रानी के पेट से पैदा होगा। न्याय जाति देख कर होगा और न्याय का सोर्स मनु संहिता होगी जो हिंदू धर्म का मूल विधान है और जाति विशेष के हितों के पोषण के लिए बनाया गया है वैसे भी हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद एक-दूसरे के पर्याय हैं।"

लाने की कोशिश आरएसएस निरंतर करता रहा है। यह उसके हिंदू राष्ट्र की परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदू राष्ट्रवादी उन सभी प्रगतिशील व्यक्तियों को भी अपना दुश्मन समझते हैं, जो उसकी परियोजना के विरोधी हैं।

प्रश्न यह है कि ऐसे समय में जब हिंदू धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र एक हकीकत बन चुका है तथा इसके निशाने पर पूरा बहुजन समाज, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों सहित अन्य प्रगतिशील तबके एवं व्यक्ति आ चुके हैं। ऐसे हालात में इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? यह तय है कि बहुसंख्यक बहुजन समाज (पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी) यदि हिंदू धर्म के घेरे से बाहर नहीं आते हैं और हिंदू धर्म की वैचारिकी और मूल्यों की गिरफ्त में पड़े रहते हैं, तो हिंदू राज की परियोजना को न तो वैचारिक तौर पर पराजित किया जा सकता है और ना ही उसे अंतिम तौर पर निर्णायक राजनीतिक शिकस्त दी जा सकती है। ऐसा करने के लिए अनिवार्य है कि हिंदू धर्म और उसके दर्शन की असलियत से बहुजनों और उन प्रगतिशील व्यक्तियों को अवगत कराया जाए, जो न्याय, समता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और बंधुता पर आधारित प्रबुद्ध भारत के निर्माण में विश्वास रखते हैं।

कब कब भारत हिन्दू राष्ट्र हुआ

अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा। उसने शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य शासन काल में विश्व धर्म बन चुके बौद्ध धर्म को उसने तबाह कर दिया। बौद्ध मठो को छिन्न भिन्न कर दिया। बौद्ध धमानुयायियों का जम कर कत्ले आम करवाया। उसके शासनकाल में ब्राहमण धर्म खूब फला फूला, प्राचीन भारत में हिंदू धर्म ध्वज वाहक के रूप में पुष्यमित्र शुंग का नाम


पुष्यमित्र शुंग

लिया जा सकता है।

मध्य काल में शिवा जी ने हिंदू पद पादशाही की स्थापना की, लेकिन ब्राहमणों ने उनके हिन्दू पद पादशाही को मान्यता नहीं दी। शिवा जी के गद्दी नशीनी के समय कोई ब्राहमण शिवा जी को तिलक करने को तैयार नहीं था। काशी के एक ब्राहमण पंडित गाग भट्ट ने शिवा जी का तिलक किया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि गाग भट्ट ने शिवा जी का तिलक अपने पैरों से किया था|

हिंदू पद पादशाही को आगे ले जाने का काम पेशवाओं ने किया, पेशवाओं ने मुगलों से लड़ने के लिए हिंदू शासको के एक हो जाने का विचार तो दिया लेकिन बाद में पेशवाओं के दमनात्मक रवैये के कारण हिंदू पद पादशाही समाप्त हो गई। पेशवा काल में हिंदू जनता के साथ भी लूटपाट और निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया जाता था|

हिन्दू राष्ट्र निर्माण में आड़े आएगा संविधान

आज़ादी के संविधान लागू होने के साथ साथ भारत एक 'गणतांत्रिक देश' बना। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। उसी दिन से भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरकर सामने आया। संविधान लागू होने के 26 साल बाद 1976 में 42वां संशोधन करके उसकी प्रस्तावना में भारत के लिए 'समाजवादी धर्म निरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने का विचार आगे बढ़ता है संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता भी होगी। संशोधन के बाद ही 'धर्म निरपेक्ष' की जगह भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न वादों के माध्यम से निर्णय दिया की संविधान के मूलभूत ढ़ाचे में परिवर्तन नहीं

किया जा सकता। संविधान के आधारभूत ढाचे के सिद्धांत को केशवानंद भारती मामले से जोड़कर देखा जा सकता है, संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधायिका अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा जैसे तत्वों को संविधान की आधारभूत संरचना का अंग बताया गया है।

संविधान के किस किस से अनुच्छेद में परिवर्तन करना पड़ेगा

देश में हिंदू राष्ट्र बनाये जाने के पश्चात् अनुच्छेद 16 में परिवर्तन करना पड़ेगा जो जाति, लिंग, धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास वंशक्रम के आधार पर पर किसी नागरिक को अयोग्यता और विभेद का निषेध करता है। इसके साथ साथ अछूत जातियों को उत्पीडन से बचने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान किया गया है जो केवल राज्य के विरुद्ध नहीं है अपितु नागरिकों के भी विरुद्ध है। हिंदू राष्ट्र का मूल देश में प्रचलित प्रथाएं है इन प्रथाओं से उपजी सामाजिक कुरीतियों के आड़े भी अनुच्छेद 17 आएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है के साथ छेड़ छाड़ करना पड़ेगा क्यों कि अनुच्छेद 25 व्यक्ति को अन्तःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान के धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 27 है यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया किया जाएगा। अनुच्छेद 27 कर लगाने का निषेध करता है। अनुच्छेद 28 - धार्मिक शिक्षा में अनुपस्थित होने से स्वतंत्रता से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में लोगो की सहमती से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं में लोगो की सहमती से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे - धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में (मदरसों, संस्कृत विद्यालयों) आदि। लेकिन सरकारी निर्देशानुसार उन्हें सरकार द्वारा निर्देशित पाठयक्रम पढ़ना भी अनिवार्य होगा। न्यास Trust) द्वारा स्थापित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अनुच्छेद 29 के अनुसार, भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के हर किसी वर्ग को, जिसकी अपनी विशेष संस्कृति, भाषा या लिपि है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।





हिंदू राष्ट्र को लेकर उठ रही मांगे देश के हिंदी पट्टी और उन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी हैं जहाँ शिक्षा, गरीबी, चिकित्सा जैसी मूलभूत ढाचे के विकास में कमी है। ऐसे क्षेत्रों में लोग चमत्कारों में ज्यादा विश्वास करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे चमत्कारी बाबाओं का बोलबाला है। उनके यह चमत्कार महाराष्ट्र जैसे राज्यों में


Dilip C Mandal
25 Feb

धीरेंद्र शास्त्री को हिंदू राष्ट्र चाहिए। अमृतपाल सिंह को खालिस्तान चाहिए।

जाओ, नहीं मिलेगा।

इन दोनों को गिरफ़्तार करके जेल के एक ही कमरे में डालना चाहिए। उनकी ख़ूब जमेगी।

अपने लोगों को इन पागलों से बहुत दूर रहना चाहिए। ये आपका जीवन ख़राब कर देंगे।

अपनी शिक्षा, बिज़नेस और हक़-अधिकार पर ध्यान दीजिए।

ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। दूर रहिए।

नहीं चल पते हैं क्यों की वहां अन्धविश्वास को लेकर कड़े कानून हैं, यदि देश चमत्कारों के सहारे चलाने लगेगा तो वैज्ञानिकता का क्या होगा ?वैज्ञानिक चिंतन का क्या होगा? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों (अनु.-51क)में उल्लेख है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य " वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधर की भावना का विकास करना। चमत्कारों के विकास से वैज्ञानिकता का विनाश होगा।

हिंदू राष्ट्र के रूप में देश को धार्मिक रंग दिए मांगें आज उठ रही हैं कल को जातीय आधार पर भी मांग उठ सकती है, कल जाट लैंड, यादव लैंड की के लिए भी लोग चिल्लाने लगेंगे। एक बार फैसला लिया जा चुका है देश की एकता और अखंडता के लिए देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बना रहना चाहिए इसमें किसी भी तरह का फेर बदल देश की अनेकता के बीच एकता के सौहार्दपूर्ण ढाचें को क्षति न पंहुचा दे, कल चमरिस्तान और खालिस्तान जैसी उठने वाली मांगे देश को कब्रिस्तान में न बदल दें। ▪



नरेन्द्र प्रताप
मो.न. +91 94531 71770



राजनीति का धरम-करम : धरम-करम की राजनीति

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में अनेक धर्म है, लोगों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को पालन करने की आजादी है, संविधान किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करता है इसलिए सरकार से किसी धर्म का समर्थन या असमर्थन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसे सभी धर्मों को समान मानना होगा। यदि राजनीति को धर्म से जोड़ा जाता है तो यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा। अतः यह बहुत हानिकारक होगा। एक राजनीतिक दल एक धर्म का समर्थन करता है और अधिक वोट प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करता है यह धार्मिक विचारधारा के आधार पर लोगों के विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष का कारण बन जाता है देश में हिंसा और वैमनस्य भी हो सकता है।

धर्म और राजनीति दोनों सदियों से व्यक्ति एवं समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाले विषय रहे हैं; दोनों ने मानव सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभा है और समय-समय पर मानव इतिहास को नई दिशा दी है। इतिहास ने धार्मिक केंद्रों को राजनीतिक सत्ता केंद्र के रूप में भी कार्य करते देखा है फिर भी इन दोनों के आपसी संबंध चर्चा के मुद्दे बनते रहे हैं। कभी कभी इनकी मिथ्या प्रस्तुति के कारण विवाद भी पैदा होते रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर गहराई से चिंतन करना समीचीन है।

राजनीति के माध्यम से ही हमें नया संविधान मिला, मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, समानता का अधिकार मिला, अभिव्यक्ति की आजादी मिली, पंचायती राज और अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मिली, मत देने का अधिकार प्राप्तहुआ, चुने जाने का अधिकार प्राप्त हुआ, छुआछूत बाल विवाह और जाति भेदभाव से मुक्ति का द्वार खुला, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुए. राजनीति के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई। फलस्वरुप राष्ट्र, विकास और प्रगति के द्वारा आज विश्व मंच पर अपनी विशेष पहचान बनाने में सफल हुआ।

आपको स्मरण ही होगा कि सन 1947 में राजनीति और धर्म के गठबंधन के कारण ही हमारे देश को विभाजन का दर्द सहन करना पड़ा, लाखों लोग बेघर हो गए और मारे गए. मां बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया. आज भी देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी राजनीति में धर्म को सम्मिलित करने का अवसर चुकना नहीं चाहते। उनके लिए यह येन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य है और उन्हें सत्ता तक पहुंचने का मार्ग राजनीति में धर्म को साधन के रूप में प्रयोग करना नजर आता है। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है यह श्रद्धा और विश्वास पर आश्रित है, इसलिए धर्म में राजनीति का समावेश नहीं करना चाहिए लेकिन जब कोई राजनीतिक दल सत्ता पर कब्जा करने के लिए धर्म को राजनीति में मिलाकर दुरुपयोग करता है तब राज्य के सामने वह समस्या बन जाता है क्योंकि अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, उनमें धार्मिक उन्माद उत्पन्न करता है यदा-कदा दंगे भड़काने जैसी साजिश भी करता है। दंगे भड़कने की स्थिति में लोग एक दूसरे के धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने, उनमें आग लगाने जैसी कार्यवाही करते हैं; परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी राजनीतिक मायाजाल के परदे के पीछे झांक कर सूक्ष्मता से देखा जाए तो राजनीति विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की आधारशिलाहै। इस राजनीति के द्वारा ही हम शताब्दियों की दासता से मुक्त हुए तथा राष्ट्रीयता की भावना को परिपक्व किया है। इतना ही नहीं हमने गत कुछ दशकों में प्रत्येक क्षेत्र में विकास और प्रगति की है और आज हम विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने के कगार पर खड़े हैं। हमारे देश में अनेक छोटे-बड़े राजनीतिक दल हैं और प्रत्येक दल अपने-अपने दृष्टिकोण और तरीके से राजनीति के सिद्धांतों की व्याख्या करके उन्हें अपना कर जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। यह अलग बात है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही धर्म विशेष के आधार पर टिका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के कुछ दशकों तक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नाम का कोई अस्तित्व नहीं था लेकिन बाद के दशकों में राजनेताओं ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए धर्म के आधार पर इन शब्दों को गढ़कर राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता को बांटने का घृणित कार्य किया है। वर्तमान में राजनीतिक दलों के तथाकथित राजनेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए धर्म को अपनी राजनीति का साधन बना लिया है। राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए जनता की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। वह अपने राष्ट्रीय धर्म लोकसेवा, राष्ट्रसेवा को त्याग कर धर्म के मूल रूप को विकृत कर रहे हैं। धर्म को अंतर्मुखी मनुष्य बनाता है उसके हृदय के द्वार को खोलता है, उसकी आत्मा को विशाल, मन को उदार तथा चरित्र को उन्नत बनाता है। अतः राजनीति में धर्म का प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों के राजनेताओं को एक साधन के रूप में नहीं करना चाहिए।

धर्म और राजनीति दोनों अपने आप में एक अक्षुण्ण विषय हैं। हर नागरिक का कर्तव्य है कि अनुकरणीय आचरणों से वह अपने धर्म को प्रशिक्षित करें एवं राजनीति में भी सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका निभाए, इसे सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करे। यह दोनों सहजीवी के रूप में सामाजिक गतिविधियों में स्थापित रहते हैं इसलिए इन दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन दोनों को प्रदूषणकारी तत्व एवं सोच से बचाने की जरूरत है; तभी निष्ठावान व्यक्ति एवं सुसंस्कृत समाज का निर्माण संभव हो सकेगा. ▪



डॉ. आर. के. सुखदेव
मो.न.- +91 94255 03987

6 के 56 यादव एसडीएम ?



सदन में गरमा-गरम बहस



कमलेश के साथ बसावन इंडिया टीम

86 में 56 यादव को एसडीएम को लेकर विधान सभा में तीखी बहस से एक बार फिर से यादव एसडीएम का मुद्दा गरमा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 86 में 56 यादव एसडीएम को लेकर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल उठाया। जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में तीखी बहस हुई।

बसावन इंडिया टीम ने कई महीनों की अपनी गहन पड़ताल के बाद जनवरी 2022 के अंक में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारियों का संघन विशलेषण कर आंकड़े



प्रकाशित किया था। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा बार-बार 86 में 56 यादव एसडीएम की कहानी दोहराई जाती है। जैसा कि हाल में ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में 86 में 56 यादव को लेकर कहा। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगभग 10 वर्षों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 56 एसडीएम की सूची सदन पटल पर रखने की चुनौती दे डाली। 86 में 56 यादव एसडीएम की कहानी लगभग

वर्ष 2011 में यादव एसडीएम

1	हिमांशु कुमार गुप्ता
2	**राजेश कुमार यादव (1)**
3	जुबेर बेग
4	अमित कुमार भट्ट
5	ममता मालवीय
6	**राहुल यादव (2)**
7	अंकुर सिंह
8	विनीत कुमार सिंह
9	अभिषेक कुमार सिंह
10	सुखवीर सिंह

11	रामजी मिश्रा
12	शिव प्रताप शुक्ला
13	वंदना त्रिवेदी
14	त्रिभुवन
15	चंदन कुमार पटेल
16	सृष्टी धवन
17	**सूरेंद्र प्रसाद यादव (3)**
18	पूजा मिश्रा
19	धीरेंद्र प्रताप
20	सलिल कुमार पटेल

21	रत्न प्रिया
22	मो. मोइनुअल इस्लाम
23	**अमिताभ यादव (4)**
24	**माया शंकर यादव (5)**
25	गरिमा सिंह
26	राजेश कुमार
27	विपिन कुमार
28	संतोष कुमार
29	गुलशन
30	अमित कुमार

वर्ष 2012 में यादव एसडीएम

1	अभिनव रंजन श्रीवास्तव
2	आयुष चौधरी
3	दिनेश
4	गौरव श्रीवास्तव
5	सूर्यकांत त्रिपाठी
6	संजीव कुमार
7	शशिभूषण राय
8	दीपाली कौशिक
9	विनय कुमार सिंह
10	अभय कुमार पांडे
11	अमित कुमार
12	विवेक चतुर्वेदी
13	**सुनील कुमार यादव (1)**
14	**ज्योत्सना यादव (2)**
15	**शिशिर कुमार (3)**
16	पूर्णिमा सिंह
17	देवेंद्र प्रताप सिंह
18	सदानंद गुप्ता
19	बनिता श्रीवास्तव
20	प्रतिपाल चौहान
21	मीनू कक्कर
22	सत्येंद्र सिंह
23	विकास कुमार सिंह
24	**राजेश कुमार यादव (4)**
25	महेंद्र पाल सिंह
26	पंकज कुमार
27	प्रदीप कुमार
28	विजेता
29	सुनंदू सुधाकरण
30	प्रदीप वर्मा
31	ललित कुमार
32	प्रमोद कुमार

सभी प्रतियोगी छात्रों को पता हो चुकी है कि किसी प्रकार से साजिश के तहत 2013 में चयनित 6 यादव एसडीएम को 56 के आंकड़े तक पहुंचा दिया गया था।

भाजपा के शीर्ष नेता एवं भारत के प्रधानमंत्री ने भी 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने रैलियों में भरपूर इस बात का जिक्र किया, इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने यहाँ तक आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोगों में यादव जातियों को ही सरकारी नौकरी अधिक मिल रही है। जिसके परिणाम स्वरुप भाजपा का हर नेता शीर्ष

वर्ष 2013 में यादव एसडीएम

1	पंकज सिंह
2	**नागेंद्र नाथ यादव (1)**
3	मेघा गर्ग
4	ज्योति राय
5	अविनाश त्रिपाठी
6	मोहम्मद कुम्मार
7	वेद प्रकाश मिश्रा
8	आशीष कुमार सिंह
9	वैभव शर्मा
10	अनूप कुमार
11	दुर्गेश मिश्रा
12	शिव नारायण सिंह
13	अमृता सिंह
14	**दीप्ति देव यादव (2)**
15	**सूरज कुमार यादव (3)**
16	पल्लवी मिश्रा
17	पंकज कुमार
18	पूजा अग्निहोत्री
19	आशीष कुमार
20	दुष्यंत कुमार मौर्य
21	अमरेश कुमार
22	सुरेश कुमार पाल
23	अंजनी कुमार सिंह
24	**विशाल कुमार यादव (4)**
25	अर्पित गुप्ता
26	**राहुल कुमार यादव (5)**
27	कुंवर वीरेंद्र मौर्य
28	शिवानी सिंह
29	सौजन्या कुमार विकास
30	रिजवाना शाहिद
31	उपमा मिश्रा
32	अरुण कुमार सिंह
33	प्रियंका
34	विनीत कुमार उपाध्याय
35	गंभीर सिंह
36	राजेश कुमार
37	दिनेश कुमार
38	देवेंद्रपाल सिंह
39	अनिरुद्ध प्रताप सिंह
40	सौरभ दुबे
41	कीर्ति प्रकाश भारती
42	ज्योति गौतम
43	प्रमोद कुमार पांडेय
44	प्रशांत कुमार नायक
45	अरविंद कुमार
46	**रमेश यादव (6)**
47	जय प्रकाश
48	कपिल कुमार सिंह

86 में 56 यादव एसडीएम का समाचार रहा बिल्कुल झूठा

2013 में यही वो एसडीएम है जो 6 से 56 हो गए

1	नागेन्द्र नाथ यादव
2	दीप्ति देव यादव
3	सूरज कुमार यादव
4	विशाल कुमार यादव
5	राहुल कुमार यादव
6	रमेश यादव

खास बातें -

- **2013 में चयनित कुल 06 यादव को 56 कहकर प्रचारित किया गया।**
- **2011-13 से की अवधि में ब्राम्हणों का चयन सबसे ज्यादा हुआ। 26 से अधिक ब्राम्हण चयनति हुए।**
- **2017 के बाद भी पीसीएस में यादवों की संख्या यथावत रही।**

▪ **चौ. लौटनराम निषाद**

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब डा.अनिल यादव अध्यक्ष थे,तो उनके तीन साल के कार्यकाल में 115 में मात्र 15 यादव जाति के एसडीएम चयनित हुए थे। 2011 की पीसीएस भर्ती का परिणाम 14 अगस्त 2013 को घोषित हुआ तो 86 में 56 यादव एसडीएम का मीडिया ट्रायल कराया गया।पूण्य प्रसून बाजपेयी ने आजतक चैनल पर एक घण्टे का दस्तक नाम से कार्यक्रम प्रसारित कर ऐसा प्रचार किया कि मानो अखिलेश यादव के समय में यादवों को ही नौकरियाँ दी जा रही हैं। इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बोर्ड पर यादव सेवा आयोग लिख दिया था। तब इस झूठ को मीडिया ने भी खूब बढा-चढा कर दिखाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झूठे प्रचार के आधार पर फैसला सुना दिया। जबकि आरोपों में न कोई आधार थे और न कोई सबूत। हाई कोर्ट को लगा था देश में सिर्फ यादव ही सभी पीसीएस बन जाएंगे। आनन-फानन में सीबीआई को पीसीएस भर्ती में कथित गडबडी की जांच सौंपने का फरमान सुना दिया। जांच प्रभावित न हो,इस आधार पर डॉ.अनिल यादव को अध्यक्ष पद से हटने को कहा गया। डॉ. अनिल यादव हट भी गए। अब लाख टके का सवाल, सीबीआई क्यों बताती? यदि नहीं मिला तो रिपोर्ट हाई कोर्ट में क्यों दाखिल नहीं करती है?यदि इस जांच में कुछ नहीं मिला है, तो झूठे आरोप लगाने वालों को हाई कोर्ट क्या सजा देगा ? अंततोगत्वा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं मिली।

▪ **खेत करे गदहा मार खाये जोलहा**

2011 की भर्ती का अंतिम परिणाम जब 14 अगस्त,2013 को घोषित हुआ तो आरएसएस व भाजपा की सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में बिल्कुल झूठी खबर प्रकाशित व प्रसारित किया गया कि 86 में 56 यादव एसडीएम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अनिल यादव द्वारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर निचले स्तर तक इस बात का प्रचार किया|

इतना ही नहीं उस समय देश का प्रमुख मीडिया चैनल आज तक के एक प्रोग्राम में एक नामिचीन ब्राहमण पत्रकार ने भी बिना तथ्यों को परखे 86 में 56 यादव एसडीएम की स्टोरी कर डाली जिसके साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में भी व्यापक रूप से 86 में 56 यादव एसडीएम से प्रकाशित किया|

अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2011 से 2013 के बीच एस डीएम के कुल 86 पदों में से 56 एसडीएम यादव जाति से थे या सिर्फ एक भ्रामक झूठ फैलाया गया था

सपा सरकार में 2011, 2012, 2013 में कुल 110 एसडीएम में यादव जाति के कुल 15 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था इसी समयावादी में सर्वाधिक चयन ब्राहमणों का हुआ था जिनकी संख्या 26 थी।

86 में 56 यादव एसडीएम के भ्रामक तथ्य को बिना जांचे परखे प्रचारित और प्रसारित किया गया जो आज भी जारी है जैसे की हाल ही में उत्तर प्रदेश के विधान सभा के सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 86 में 56 का एक बार फिर से जिक्र किया गया, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव उसे सदन के पटल पर रखने की चुनौती दी परन्तु मुख्यमंत्री के स्वीकृति करने के बाद भी सदन के पटल पर नहीं रखा गया बाद में अखिलेश यादव ने 2011 से 2015 के बीच चयनित अभ्यर्थियों का ब्यौरा पेश किया गया|

यधपि समाजवादी पार्टी द्वारा तथा 2012 से 2017 के बीच तत्कालीन समाजवादी सरकार को उसी समय 86 में 56 के असत्य को उजागर करना चाहिए था एंव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उन मीडिया हॉउस एंव समाचार पत्रों पर मान हानि की कार्यवाही करना चाहिए था जिसने इस झूठी खबर को प्रचारित किया था|

86 में 56 यादव एसडीएम पूर्णतया राजनीतिक कदम था इससे भाजपा को राजनीतिक फायदा मिला और सत्ता में वापसी हुई। 2012 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा त्रिस्तरीय आरक्षण पद्धति को लागू किया गया था जिसका सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा व्यापक विरोध किया गया था सामान्य वर्ग के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी मुखिया दिवंगत मुलायम सिंह यादव से मिल कर आरक्षण की उक्त पद्धति को वापस करवा दिया आयोग को बैक फुट पर आना पड़ा, उसी के बाद 86 में 56 का शिगूफा छोड़ा गया| ▪

वर्ष 2011, 2012, 2013 में पीसीएस की संख्या व विवरण

वर्ष	यादव	ब्राम्हण	अन्य	कुल सीटें
2011	42	77	270	389
2012	33	56	256	345
2013	64	124	466	654
कुल पीसीएस	139	257	992	1388

वर्ष 2011, 2012, 2013 में एसडीएम की संख्या व विवरण

वर्ष	यादव	ब्राम्हण	अन्य	कुल सीटें
2011	05	08	17	30
2012	04	06	23	32
2013	06	12	30	48
कुल एसडीएम	15	26	60	110



राहुल पटेल
छात्र नेता

"दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री कार्यकाल में लोक सेवा आयोग के पहले साल के जो नतीजे आए हैं, उसमें 147 ब्राह्मण भर्ती हो गए। अब कोई नहीं बोल रहा है जिन्हें 15 यादव अभ्यर्थियों के पीसीएस बनने पर लोक सेवा आयोग यादव सेवा आयोग नजर आर रहा था। अब 147 ब्राह्मणों के सलेक्ट होने पर ब्राह्मण सेवा आयोग का आरोप लग सकता है? यादव तो तब तीन साल 2011, 2012 और 2013 में कुल 15 एसडीएम बने थे। इस बार तो घोर अंधेरगर्दी में भी एक ही साल में 32 बन गए हैं। लोक सेवा आयोग की 2011 के विज्ञापन के आधार पर 30 एसडीएम में 5 यादव, 2012 में 32 में 4 व 2013 में 48 में 6 यादव एसडीएम चयनित हुए थे। एस. के. जैन के कार्यकाल में 2014 में 42 में 7 एवं 2015 में 32 में 3 यादव एसडीएम चयनित हुए थे।"

द्वारा बनवा दिए गए। बताते चलें कि 2011 की भर्ती में 30 में 3 ठाकुर व 7 ब्राह्मण,2012 में 32 में 2 ठाकुर व 6 ब्राह्मण,2013 में 53 में 9 ठाकुर व 14 ब्राह्मण,2015 में 4 ठाकुर व 8 ब्राह्मण एसडीएम चयनित हुए।भाजपा ने मीडिया ट्रायल कराकर यादव जाति को नायक से खलनायक बना दिया गया।पिछड़ों की बहुत बड़ी विडंबना है कि कउआ तेरा कान लेकर उड़ गया तो ये अपने कान को नहीं देखते,आम, महुआ, नीम...के पेड़ पर देखते हैं कि कउआ मेरा कान लेकर किस डाल पर बैठा है।

86 में 56 यादव एसडीएम का इतना प्रचार किया गया कि "झूठी कहे सो साँची होवे,साँची कहे सो झूठी होवे" की बात को सच बनाकर गैर यादव पिछड़ी जातियों को यादव के विरुद्ध खड़ा कर दिया।

बेशर्मी की हद तो तब पार हो गयी,जब विधानसभा के अंदर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामन्ती व गुण्डों की भाषा बोलते हुए आरोपित किया कि ये वही लोग हैं जो अतिपिछड़ों का हक मारकर 86 में 56 यादव एसडीएम बना दिये।

- **एससी और ओबीसी अपने दम पर बढ रहे हैं आगे**

यादव और दीगर एससी ओबीसी जातियों में उभरती प्रतिभा दबा पाना किसी के हाथ में नहीं है। एससी और ओबीसी अब भूखे रहकर इलाहाबाद व दिल्ली के मुखर्जी नगर में रात दिन पढते हैं, जनाब। मैंने खुद देखा है उनकी तल्लीनता व मेहनत को। तीन साल पहले यूपी बोर्ड के 10 में से 8 टापर कुर्मी और यादव थे।बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा,डीएलएड व पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में भी टॉपर यादव व ओबीसी ही थे। ओबीसी तो क्रिकेट की टीम इंडिया में भी अपनी प्रतिभा के बूते धाक जमा रहे हैं। वे तो पूरे भारत में दीगर कौमों से मुकाबला कर रहे हैं। उमेश यादव, जयंत यादव, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव। जबकि इनका कोई पैरोकार नहीं है। यूपी के ओबीसी के खिलाडियों का कभी कोई पैरोकार नहीं रहा। न कभी ज्योति वाजपेयी, न गोपाल शर्मा और न ही राजीव शुक्ला पैरोकार रहे। मोहम्मद कैफ और प्रवीन कुमार भी अपने दम पर आगे बढ़े।

- **ओबीसी,एससी रहे खामोश तो मांफ नहीं करेगा इतिहास**

अब कोई चैनल नहीं दिखा रहा है, एक जाति विशेष के 147 पीसीएस ठाकुर,ब्राह्मण कैसे सलेक्ट हो गए ? सपा सरकार के दौर में तीन साल में महज 15 एसडीएम यादव जाति के सलेक्ट होने पर सपा सरकार व अखिलेश यादव पर यादववाद का आरोप लगा रहे थे।उन्हें अब ब्राह्मणवाद व ठाकुरवाद क्यों नजर नहीं आ रहा है?

- **ब्राह्मण के साथ ठाकुर कौम भी हुई लाभान्वित**

लोक सेवा आयोग में ब्राह्मणों के साथ ठाकुरों ने भी भरपूर लाभ उठाया है। जिस ठाकुर जाति के एक बार में कभी 20 अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए, 2020 में एक ही बार 80 पीसीएस सलेक्ट हो गए। जबकि किसी जमाने में 40 फीसदी पीसीएस सलेक्ट होने वाली कायस्थ जाति के इस बार महज चार अभ्यर्थी



धीरेन्द्र यादव
वरिष्ठ अधिवक्ता,
इलाहाबाद हाईकोर्ट

"जाति देखकर काम हो रहा है। सरकार जातिवाद की सारी हदें लांघ गई हैं। अधिकारियों की पोस्टिंग में सवर्णो विशेषकर योगी व दिनेश शर्मा, बृजेश पाठक की ही जाति को प्राथमिकता दी जा रही है।योगी ने 753 विधिक अधिकारियों का मनोनयन उच्च न्यायालय में किया, जिसमे मात्र 57 ही विधिक अधिकारी ओबीसी, एससी, एसटी व अल्पसंख्यक वर्ग के बनाये गए,क्या यह जातिवाद नहीं?उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा आयोग द्वारा 24 अप्रैल,2017 को घोषित परिणाम में 61 में 52 स्वर्ण जज हुए।गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 में 66 सवर्ण(38 ठाकुर व 24 ब्राह्मण) प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर बनाये गए,क्या यह जातिवाद नहीं है?मा. उच्चतम न्यायालय में 77 सरकारी वकील बनाये गए,जिसमे मात्र 2 ओबीसी के व अन्य सभी सवर्ण,क्या यह सामाजिक न्याय है? क्या यही रामराज व सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास व सबका प्रयास नारे की सच्चाई है।"

ही चयनित हो पाए।ठाकुर और ब्राह्मण जाति के अभ्यार्थियों की सरकारी नौकरी में सीधे भर्ती खेल की एक बानगी और देखिए। विधान सभा सचिवालय में करीब ढाई सौ तीसरे ग्रेड के कर्मचारियों की सीधी भर्ती हुई। इसमें से 142 ठाकुर-पंडित भर्ती कर लिए गए। इन भर्तियों में न तो एससी और न ही ओबीसी का रिजर्वेशन कोटा सिस्टम लागू किया गया।

2015 से पिछड़ों की हर स्तर पर हकमारी शुरू



मनोज सिंह काका
प्रवक्ता- समाजवादी पार्टी

एसडीएम पदों पर चयन के लिहाज से भाजपा का समय यादवों के लिए अधिक अनुकूल था। सपा और भाजपा सरकार में आए पीसीएस परीक्षा परिणामों में एसडीएम पदों पर यादवों के चयन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भाजपा शासन काल में सपा के शासन काल से अधिक यादवों का चयन एसडीएम पदों हुआ। पीसीएस परीक्षा में एसडीएम पदों पर चयन के लिहाज से भाजपा का समय यादवों के लिए अधिक अनुकूल रहा लेकिन यह सिर्फ एसडीएम पदों तक ही सीमित रहा। 86 में 56 यादव एसडीएम बोलते हुए योगी जी यह क्यों भूल हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जाति को सार्वजानिक करने में बहुत वक्त थोड़े न लगेगा। पिछली सरकार में चयनित सभी एसडीएम की जाति को सार्वजानिक क्यों नहीं करते हैं ? इस समय क्या रहा है सबको पता है सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का चयन किया जा रहा है अपनी सरकार में और पिछली सरकार के चयनित अभ्यर्थियों के जातिवार आकड़ों को सामने कर दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रदेश के 75 जिलों में से ज्यादातर जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी या तो ठाकुर हैं या ब्राह्मण। कई जिलों के थानों में तो हालत यह है कि 90 फीसदी थानेदार ठाकुर और ब्राह्मण हैं। अब कहाँ गया सबका साथ सबका विकास का नारा ? काठ की हांड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। दलित पिछड़े एक बार उनके बहकावे में आ चुके हैं अबकी कोई उनकी बात कोई नहीं मानेगा |

- **केन्द्रीय सेवाओं में ओबीसी का प्रतिनिधित्व नगण्य**

भाजपा सरकार पर पिछडों,वंचितों का असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह का षडयंत्र करती है।धार्मिक मुद्दे उछालकर तुम्हें असल मुद्दों से भटकाती है। केन्द्रीय मंत्रालय के सचिवीय नियुक्ति में वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व नगण्य है।सचिव व अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व शून्य है। 89 केन्द्रीय मंत्रालय के सचिवों में 24 पदों के सापेक्ष ओबीसी का प्रतिनिधित्व शून्य,13 के सापेक्ष एससी को 1 व 7 के सापेक्ष एसटी को 3 सचिव पद पर प्रतिनिधित्व मिला है।अतिरिक्त सचिव के 93 पदों में 25 पद वांछित है लेकिन ओबीसी का प्रतिनिधित्व शून्य है।अतिरिक्त सचिव के पद पर एससी को 14 की बजाय 6 व एसटी को 7 की बजाय 5 पद पर प्रतिनिधित्व मिला है। 275 संयुक्त सचिव के पदों में ओबीसी को मात्र 19,एससी को 13 व एसटी को 9 पदों पर प्रतिनिधित्व मिला है।ओबीसी को 27 प्रतिशत की जगह मात्र 6.91 प्रतिशत,एससी को 15 प्रतिशत की जगह 4.73 व एसटी को 7.5 प्रतिशत की जगह मात्र 3.27 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व मिल पाया है,जो सामाजिक न्याय के प्रतिकूल है।



अखिलेश गुप्ता गुड्डू
समाजवादी छात्रसभा इलाहाबाद

“उत्तर प्रदेश में जब 86 में 56 यादव एसडीएम की जब खबर उड़ाई गई। डॉ. अनिल यादव उस समय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर थे। वास्तविकता यह थी कि डॉ. अनिल यादव ने लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय आरक्षण प्रणाली को सुचारू रूप से लागू कर दिया था जिसकी वजह से सामान्य वर्ग की सीटों (ओपन फॉर आल) पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पहुंचनें लगे थे जिसका परिणाम यह हुआ कि डॉ. अनिल यादव सवर्णों को खटकने लगे। उन पर कई तरीके के झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। भाजपा ने तो आयोग के मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करते हुए फूट डालों और राज करो की रणनीति अपनाई, बाकायदा सीबीआई जाँच भी करवाई लेकिन अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ।”

2018 से 2022 तक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि पदों पर नियुक्ति का आँकड़ा कार्मिक मंत्रालय से मिला है। 2018 में 906 अधिकारियों की भर्ती में ओबीसी को 134,एससी को 68 व एसटी को 31,2019 में 733 पदों पर भर्ती में ओबीसी को 136,एससी65 व एसटी को 30 पदों पर प्रतिनिधित्व मिला। यूपीएससी-2020 की 858 आईएएस पदों पर भर्ती में ओबीसी को मात्र 133,एससी को 61 व एसटी को मात्र 29 स्थानों पर प्रतिनिधित्व मिला। 2021 में 862 पदों पर भर्ती में ओबीसी को 145,एससी को 71 व एसटी को 34 पद,2022 में 1006 पदों पर भर्ती में ओबीसी को 147,एससी को 69 व एसटी को 42 पदों पर ही प्रतिनिधित्व मिला। 2018 से 2022 तक कुल 4365 पदों पर भर्तियों में ओबीसी को 695

(15.92%),एससी को 334(7.65%) व एसटी को 166(3.8%) पदों पर ही प्रतिनिधित्व मिला,जबकी 3170 (72.62%) पर सामान्य वर्ग ने कब्जा कर लिया।संघ लोक सेवा आयोग व लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में ओबीसी व अन्य आरक्षित वर्ग को सामान्य वर्ग से अच्छा अंक मिलता है,लेकिन साक्षात्कार में ओबीसी, एससी, एसटी को कम अंक देकर पीछे या बाहर कर दिया जाता है।यूपीएससी,पीसीएस, एसएससी आदि भर्तियों में साक्षात्कार खत्म किया जाना न्याय की दृष्टि से आवश्यक है।साक्षात्कार में जाति देखकर अंक दिए जाते हैं। तरह-तरह के षड़यंत्र कर ओबीसी,एससी, एसटी की हकमारी की जा रही है। जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में 13 प्रोफेसर में 9 ब्राह्मण,3 भूमिहार ब्राह्मण,उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा वनस्पति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती में 11 सवर्ण, 1-1 एससी, एसटी,बाँदा कृषि विश्वविद्यालय में 13 प्रोफेसर भर्ती में 11 ठाकुर व 1-1 पद पर एससी, एसटी का चयन किया गया।गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय में 4 प्राध्यापक भर्ती में सभी ठाकुर की भर्ती की गई,यह जातिवाद नहीं तो क्या है? पिछड़ी जातियों की इस तरह की हकमारी से ओबीसी की भावना आहत नहीं हो रही,भाजपा के ओबीसी नेताओं की जुबान पर ताला क्यों लगा है? ईपीएफओ एसएसए(सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट) भर्ती-2023 के लिए विज्ञापित 2674 पदों में ओबीसी को 27 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 19.22%, एससी को 15 की बजाय 13.42% ही पड़ आरक्षित किया गया है। सामान्य वर्ग को 37.36%, ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत की जगह 19.78 प्रतिशत व एसटी को 7.5 प्रतिशत की जगह 10.21 प्रतिशत सीटें आवंटित की गई हैं।ओबीसी, एससी के पदों की हकमारी कर ईडब्ल्यूएस को इनका हिस्सा देकर अन्याय क्यों किया जा रहा है? ▪



चौ. लौटनराम निषाद
राष्ट्रीय प्रवक्ता-भारतीय ओबीसी महासभा

एडीएम न्यायिक : यादव-56

प्रदेश के 25 जिलों में एडीएम न्यायिक का पद है जिनमे से 14 पदों पर एक मात्र जाति यादवों को रखा गया है। यानि आधे से अधिक पदों पर यादवो को रखा गया है। एडीएम न्यायिक के 56% पदों पर यादवों को रखा गया है। शेष ब्राहमण, मुसलमान और अनुसूचित जाति के एडीएम न्यायिक के 12 -12 % हैं। 4-4% कुर्मी और कायस्थ भी एडीएम न्यायिक के पदों पर है। किसी भी जिले में कोई भी एडीएम न्यायिक ठाकुर जाति से नहीं मिला। प्रदेश के एडीएम न्यायिक के 84% पदों पर ओबीसी,एससी और अल्पसंख्यक अधिकारियों को तैनाती दी गई है।

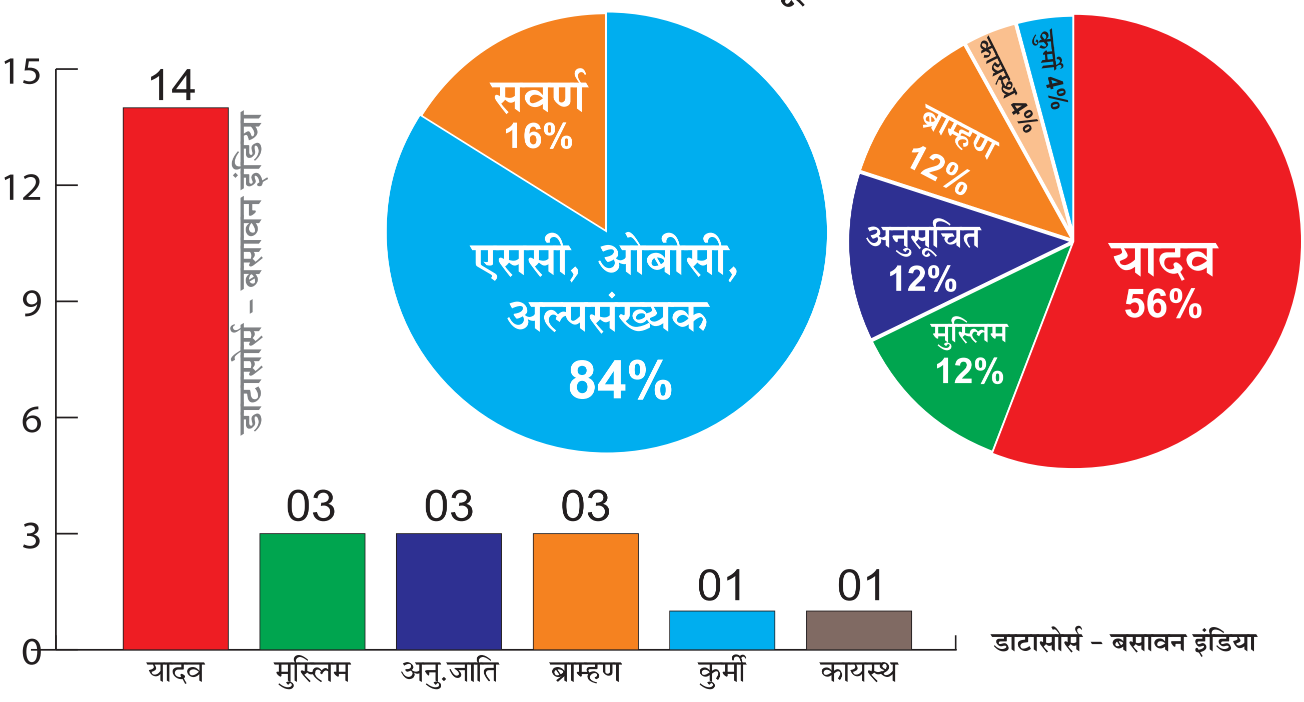
25 में 14 यानि 56%। 56 लोग नहीं 56 प्रतिशत, अखिलेश की सरकार में 86 में 56 एसडीएम यादव तो नहीं हुए लेकिन योगी की सरकार में 56 प्रतिशत एडीएम न्यायिक जरूर बन गए। अब कोई यह नहीं कहेगा कि यूपी में यादव के घर बच्चा पैदा होगा तो एसडीएम बनेगा, यदि एसडीएम बना तो एडीएम न्यायिक जरूर बनेगा। 86 में 56 तो झूठ निकला लेकिन 25 में 14 एडीएम न्यायिक सच है। एडीएम न्यायिक के पदों पर एकमात्र जाति यादवों का दबदबा है।

सरकार ने एडीएम न्यायिक में सामाजिक न्याय 15:85 के करीब पहुंचता दिख रहा है। 84 प्रतिशत पदों पर दलित और पिछड़े है। शेष 16 प्रतिशत पदों सभी सवर्ण जातियां है

एडीएम न्यायिक का पद प्रशासनिक जगत में कम प्रभाव माना जाता है, कई ऐसे जिले हैं जहाँ एडीएम न्यायिक की तैनाती की कोई जरुरत ही नहीं है, इन जिलों के एडीएम न्यायिक के पास कोई काम ही नहीं है इनके पास मुकदमो की संख्या 100 से भी कम है, जिन एडीएम स्तर के यादव अधिकारियों को एडीएम न्यायिक में समायोजित नहीं किया जा सका उन्हें प्रदेश की चीनी मिलों के प्रबंधन से जोड़ दिया गया है। प्रदेश के एडीएम स्तर के 10 से अधिक ऐसे अधिकारी हैं जो चीनी मिल प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। ▪

नाम	जिला	जाति
भानुप्रताप यादव	सोनभद्र	यादव
डॉ. विश्राम यादव	कौशाम्बी	यादव
धीरेन्द्र प्रताप	फतेहपुर	यादव
अमिताभ यादव	बांदा	यादव
माया शंकर यादव	अमरोहा	यादव
विकास कुमार सिंह	उन्नाव	यादव
शिशिर कुमार	महोबा	यादव
इन्द्रसेन	बाराबंकी	यादव
सुभाषचन्द्र यादव	श्रावस्ती	यादव
शिव नारायण सिंह यादव	भदोही	यादव
सूरज कुमार यादव	पीलीभीत	यादव
आशीष कुमार	बरेली	यादव
नागेन्द्र नाथ यादव	हमीरपुर	यादव
मोती लाल यादव	जालौन	यादव
राशिद अली खान	शाहजहांपुर	मुस्लिम
मोहम्मद मोइनुल हसन	हाथरस	मुस्लिम
अब्दुल बाशित	औरैया	मुस्लिम
श्यामलता आनंद	झांसी	अनुसूचित
प्रियंका	बुलंद शहर	अनुसूचित
ज्योति गौतम	बलरामपुर	अनुसूचित
अभय कुमार मिश्रा	संत कबीरनगर	ब्राम्हण
उपमा पाण्डेय	कुशीनगर	ब्राम्हण
हरिशंकरलाल शुक्ला	सीतापुर	ब्राम्हण
सलिल कुमार पटेल	अयोध्या	कुर्मी
श्रीमती गरिमा स्वरुप	लखनऊ	कायस्थ

सामाजिक न्याय की महिमा न्यारी... यूपी में एडीएम न्यायिक



डाटासोर्स - बसावन इंडिया

जातीय जनगणना रिपोर्ट

ग्राम पंचायत लाडपुर, जिला पीलीभीत

बसावन इंडिया अपने प्रवेशांक से ही देश में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा रही है, बसावन इंडिया के जाति आधारित जनगणना की मुहीम रंग लायी, आज देश में जाति आधारित जनगणना की मांग जोर शोर से उठाने लगी है। पिपक्षी दलों के साथ साथ अब तो सत्ता दल के नेता भी जातीय जनगणना की मांग करने लगे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में अपना बयान दिया।

जाति आधारित जनगणना की अगली कड़ी में बसावन इंडिया अपने इस अंक के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के ग्राम पंचायत लाडपुर की जनगणना का प्रकाशन कर रही है। बसावन इंडिया ने अब तक उत्तर प्रदेश के नौ जिलों के नौ ग्रामसभा और बिहार के बक्सर जिले की एक नगर परिषद् डुमराव की जनगणना का प्रकाशन कर चुका है। इस बार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट हमे पीलीभीत जिले के लाडपुर से जितेन्द्र कुमार गंगवार ने भेजी है।

जातीय जनगणना के लिए हम गांव की नवीनतम निर्वाचन सूची को आधार बनाते है, उसी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा जातियों को चिन्हित कर जातिवार आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। यदि आप अपने गांव की जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन चाहते हैं तो नवीनतम मतदाता सूची को आधार बनाकर बसावन इंडिया को मेल कीजिए। बसावन इंडिया की संपादकीय टीम यदि आपके गांव की रिपोर्ट का चयन करती है तो सिटिजन जर्नलिस्ट के रूप में आपको क्रेडिट देते हुए आपके फोटो के साथ आपका नाम मैगजीन में प्रकशित किया जाएगा।

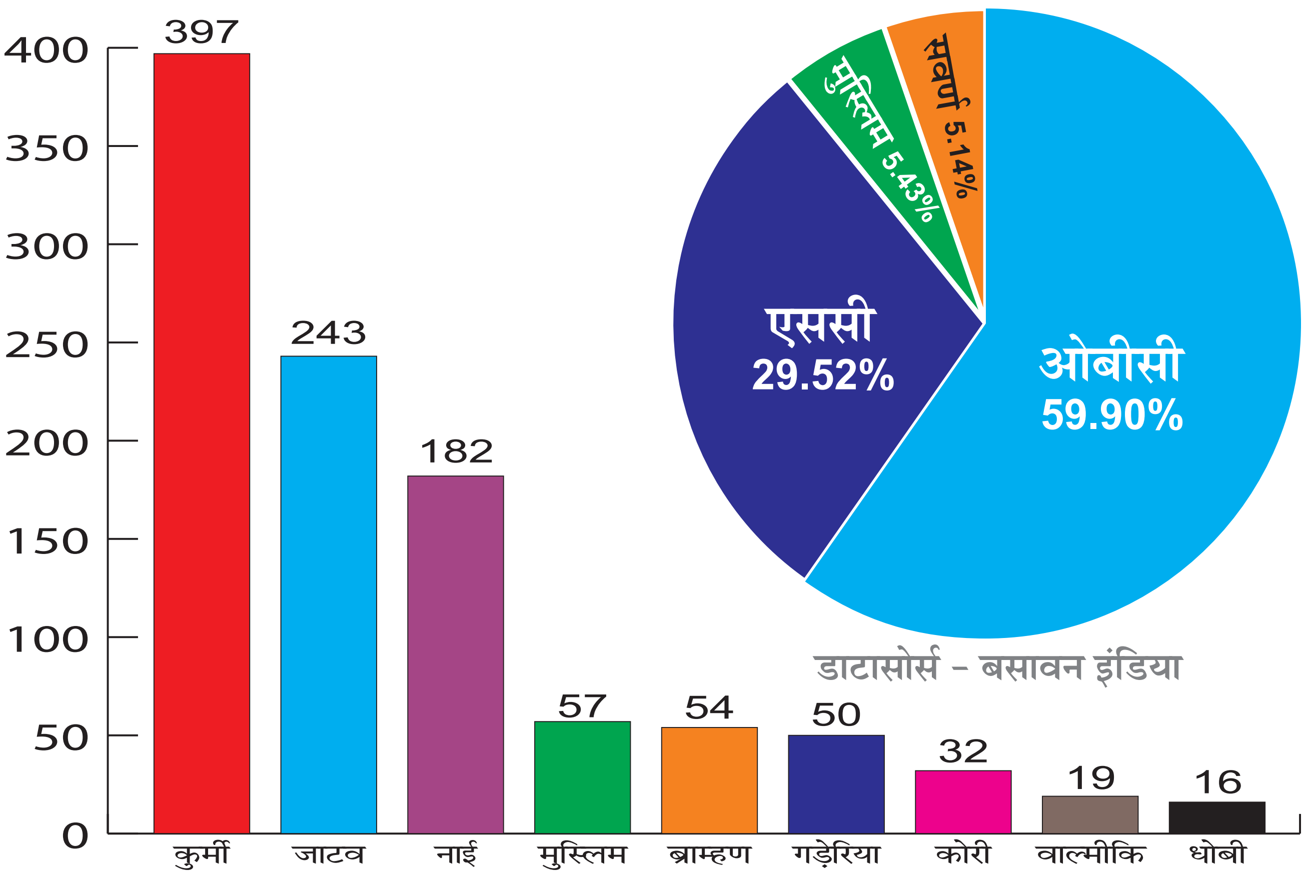
लाडपुर ग्राम सभा में कुल में 09 जातियां के मतदाताओं की संख्या 1050 है। ग्राम पंचायत में 599 पुरुष और 451 महिला मतदाता हैं। सवर्ण मतदाताओं में केवल ब्राहमण मतदाता हैं, जिनकी कुल संख्या 54 है, जिसमे 29 पुरुष और 25 महिला मतदाता है।

लाडपुर में पिछड़ी जातियों संख्या 03 है। जिसमे कुर्मी,नाई गड़ेरिया शामिल हैं। कुर्मी, नाई और गड़ेरिया मतदाताओं की संख्या 629 है। मुस्लिम ओबीसी मतदाताओं में अंसारी हैं जिनकी कुल संख्या 57 है।

अनुसूचित जातियों में जाटव,कोरी,वाल्मीकि और धोबी मतदाता शामिल हैं। अनुसूचित जातियों के मदाताओं की संख्या 310 है। ▪



जितेन्द्र कुमार गंगवार
मो.न.- 9759716355



ग्राम पंचायत लाड़पुर, जिला पीलीभीत

बसावन इंडिया मंडल ऑडिट

बी.एस.ए. में सवर्णों की बादशाहत

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

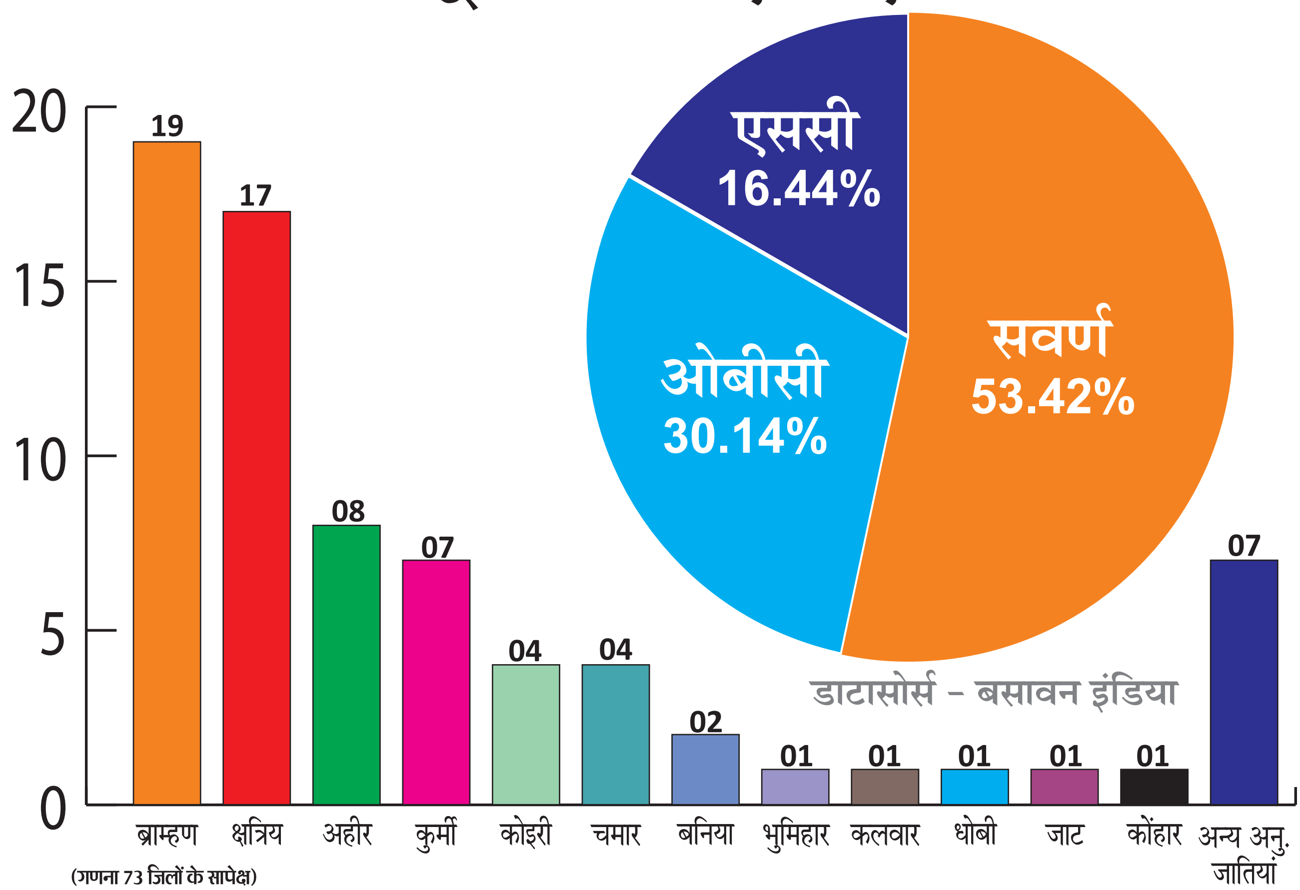
बसावन इंडिया ने अपने इस अंक में उत्तर प्रदेश में के जिलों में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारीयों का आडिट किया है। प्रदेश के 75 से 73 जिलों में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारियों के जातिवार आंकड़े बसावन इंडिया प्रस्तुत कर रही है। प्रदेश के 02 जिलों में से अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं और इटावा के बेसिक शिक्षा अधिकारी की जाति और वर्ग पता नहीं चल पाया।

प्रदेश में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारीयों में 50 फ़ीसदी से अधिक पदों पर सवर्ण जातियों का दबदबा है यानि कि आधे से अधिक संख्या में सवर्ण हैं। 39 बीएसए सवर्ण जातियों से हैं। सवर्ण जातियों में सबसे अधिक संख्या ब्राहमणों की है। 73 में से 19 बीएसए ब्राहमण जाति से है यानि 26 फ़ीसदी बीएसए ब्राहमण हैं। ब्राहमणों से थोड़ी ही कम संख्या क्षत्रियों की है 73 में 17, यानि 23 फ़ीसदी बीएसए क्षत्रिय जाति से हैं। दो बीएसए बनिया और एक भूमिहार जाति से हैं। कुल मिला कर 53.42% बीएसए चार सवर्ण सवर्ण जातियों से हैं,सवर्ण जातियों में कायस्थ जाति का कोई भी बीएसए नहीं है।

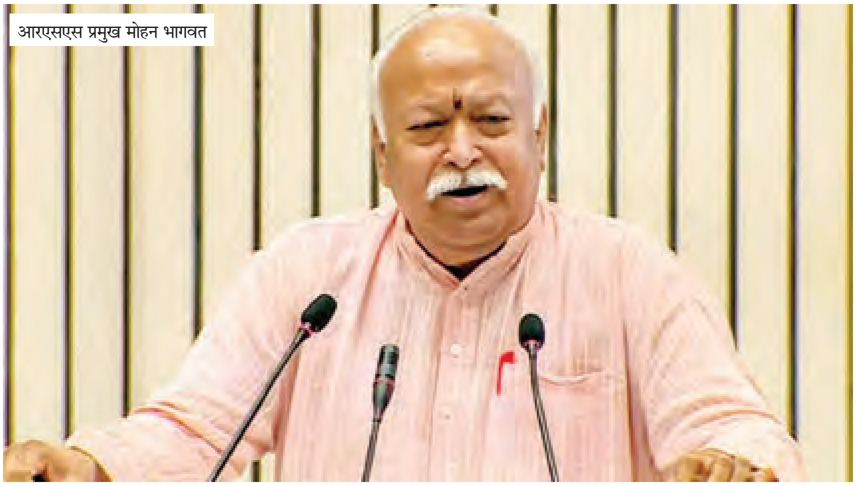
बेसिक शिक्षा अधिकारियों की गणना में 22 बीएसए ओबीसी के मिले। यानि 30 फ़ीसदी बीएसए ओबीसी जातियों से हैं। ओबीसी बीएसए में सबसे अधिक संख्या अहीरों की रही। 08 बीएसए अहीर जाति से हैं। वर्तमान सरकार में अहीर जाति के बीएसए की संख्या ठीक ठाक है। जातिवाद का दंश झेल रही अखिलेश यादव के सपा सरकार में भी अहीर बेसिक शिक्षा अधिकारियों की संख्या इसी के आसपास ही हुआ करती थी। सपा सरकार में बेसिक शिक्षा अधिकारियों की संख्या 10 से ऊपर कभी नहीं गई। यह तथ्य निराधार है कि वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकारी में यादव अधिकारियों की उपेक्षा हो रही है। कुर्मी बीएसए की संख्या 07 है जबकि कोइरी जाति के 04 ही बीएसए मिले। शेष ओबीसी जातियों में एक जाट,एक कोंहार और एक कलवार जाति से हैं।

प्रदेश के 12 बीएसए अनुसूचित जाति से हैं अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक 04 बीएसए चमार जाति से है। एक बीएसए धोबी जाति से हैं। शेष सात बीएसए की जाति अनुसूचित जातियों से हैं लेकिन उनकी जाति विशेष का पता नहीं चल पाया। ***प्रदेश कोई भी बीएसए मुस्लिम समुदाय से नहीं मिला।*** ▪

यूपी में बी.एस.ए.



ब्राह्मणों ने जातियां नहीं बनाईं तो किसने बनाईं



आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

▪ **कंवल भारती**

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सुप्रीमो मोहन भागवत ने वह कह दिया, जिसे कहने का साहस बहुत कम ब्राह्मण करते हैं। उन्होंने गत दिनों मुंबई के दादर में रैदास जयंती के अवसर पर बोलते हुए कहा कि जातियां भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई हैं, और भगवान के लिए सब समान हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब देश में तुलसीदास के रामचरितमानस पर तूफ़ान मचा हुआ है, और उत्तर प्रदेश तथा कई अन्य राज्यों के शहरों में रामचरितमानस के उन अंशों को फाड़कर जलाया गया है, जो शूद्रों के अपमान से संबंधित हैं। अगले लोकसभा चुनावों में कहीं भाजपा को इसका खामियाजा न भुगतना पड़ जाए, इसलिए इस विवाद की जलती आग में पानी के छींटें डालकर उसे ठंडा करने की एक कोशिश मोहन भागवत ने की है।

लेकिन जैसे ही भागवत ने पंडितों को जाति-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराने वाला बयान दिया, वैसे ही देश भर के ब्राह्मण भड़क गए। अब चूंकि आरएसएस ब्राह्मणों को नाराज करना नहीं चाहता, इसलिए तुरंत पंडित शब्द पर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया कि पंडित से मोहन भागवत का आशय ब्राह्मण से न होकर विद्वानों से है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत मराठी में बोल रहे थे, और मराठी में पंडित का मतलब विद्वान होता है, ब्राह्मण नहीं।

मतलब, आरएसएस में इतना साहस नहीं कि खुलकर कह सके कि पंडित का अर्थ ब्राह्मण ही होता है। लेकिन सच यह है कि पंडित शब्द ब्राह्मण का ही पर्याय है। इस देश में पंडित केवल ब्राह्मणों को ही कहा जाता है, ठाकुरों और वैश्यों को नहीं। ब्राह्मणों के नाम के साथ ही पंडित लगाया जाता है, जैसे, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और महापंडित राहुल सांकृत्यायन, इत्यादि। कभी भी नामवर सिंह, शुकदेव सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, राममनोहर लोहिया, राजकिशोर, धर्मवीर, तुलसीराम के लिए पंडित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए सुनील आंबेकर की सफाई कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ब्राह्मण जानते हैं कि पंडित ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही पंडित। इसलिए बनारस के ब्राह्मणों ने कोतवाली थाने में मोहन भागवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की वाराणसी इकाई के पदाधिकारियों का कहना है कि पंडितों पर मोहन भागवत के दिए बयान से ब्राह्मण समाज अपमानित महसूस कर रहा है। ब्राह्मणों को हर वह बात बुरी लगती है, जो उनके विरोध में जाती है। उन्होंने अपने धर्म में न स्त्रियों का अपमान महसूस किया, और न दलितों का। वर्णव्यवस्था में हजारों साल से शूद्रों को अपमानजनक स्थिति में रखा गया है और कदम-कदम पर आज भी उनको अपमानित किया जाता है, यहां तक कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास तक को गंगाजल से धुलवाकर उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन शूद्रों का सदियों का यह संताप और अपमान ब्राह्मणों को कभी महसूस नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने यह क्यों नहीं स्वीकार किया कि शूद्र भी उन्हीं के समान मनुष्य हैं? अगर ब्राह्मणों ने जाति-व्यवस्था नहीं बनाई, तो फिर किसने बनाई? उसे ईश्वरीय विधान बताकर समाज पर किसने थोपा? ब्राह्मणों ने या मुसलमानों ने? सच यही है कि ब्राह्मणों ने ही जाति-व्यवस्था बनाई।

सदियां बीत गईं, पर ब्राह्मण अभी भी अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। और जब मोहन भागवत ने, जो स्वयं भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को उनके अपराध का बोध करा दिया, तो यह उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है।

मोहन भागवत, प्रमुख, आरएसएस

अगर मोहन भागवत ने झूठ बोला है कि जातियां पंडितों ने बनाईं, तो ब्राह्मणों द्वारा इसका खंडन किया जाना चाहिए, और पुष्ट प्रमाणों के साथ उन्हें बताना चाहिए कि चारों वर्णों का निर्माण किसने किया? हालांकि, चार वर्णों में ब्राह्मण पहले स्थान पर आते हैं, जो स्वयं में एक बड़ा प्रमाण है कि वर्णव्यवस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने किया था। अगर जातियों का निर्माण क्षत्रिय करते, तो वे पहले स्थान पर क्षत्रियों को रखते; और अगर वैश्य जातियां बनाते, तो उनकी व्यवस्था में वैश्यों का स्थान सबसे पहला होता। क्षत्रिय या वैश्य अगर जातियां बनाते, तो वे कभी भी ब्राह्मण को अपने से पहला या बड़ा दर्जा नहीं देते। लेकिन यह केवल कयास है, क्योंकि वास्तव में, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब ब्राह्मण के ही दिमाग की उपज हैं। अगर ब्राह्मण जाति-व्यवस्था नहीं बनाता, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की श्रेणियां ही नहीं होतीं। सिर्फ व्यवसाय के आधार पर वर्ग होते, जन्म के आधार पर जातियां नहीं होतीं।

भगवद्गीता का हवाला देकर यह कहा जा सकता है कि जातियां कृष्ण ने बनाईं। क्योंकि उसके चौथे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, "इस चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का कर्ता मैं ही हूं।" कृष्ण ब्राह्मण नहीं थे। इस तर्क से अगर कृष्ण को निर्माता माना जाए, तो वह अहीर थे। तब क्या एक अहीर ने जाति-व्यवस्था बनाई? इस तर्क में इसलिए जान नहीं है, क्योंकि एक अहीर अपनी बनाई हुई जाति-व्यवस्था में ब्राह्मण को श्रेष्ठ और सर्वोच्च श्रेणी में क्यों रखेगा? एक और तर्क से कृष्ण के दावे का खंडन हो जाता है। वह यह कि ब्राह्मण काल के अनुसार कृष्ण द्वापर में हुए, जबकि उनसे पहले त्रेता युग हुआ,



लोकतंत्र जहाँ सभी को समान समझता है। एक लोकतांत्रिक देश के नाते संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किए जाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है।

जिसमें राम का अवतरण हुआ था, और राम ने वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध आचरण करने पर एक शूद्र तपस्वी शंबूक की हत्या कर दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ण-व्यवस्था त्रेता काल में भी अस्तित्व में थी। तब यह बात मिथ्या साबित हो जाती है कि वर्ण-व्यवस्था के कर्ता कृष्ण थे। हालांकि, भगवद्गीता का लेखक एक ब्राह्मण ही है और उस ब्राह्मण ने ही कृष्ण के मुंह में यह बात कहलवाई है कि चारों वर्णों का कर्ता मैं ही हूं। इस दृष्टि से भी जातियों का निर्माता ब्राह्मण ही हुआ।

मोहन भागवत के बयान के बाद ऋग्वेद का दसवां मंडल भी झूठा हो जाता है, क्योंकि उसका सूक्त 90 कहता है कि "आदि पुरुष से ब्रह्म उत्पन्न हुआ और ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए।" ब्रह्म कोई और नहीं, ब्राह्मण ही है। ब्रह्म और ब्राह्मण दोनों एक ही शब्द हैं। उपनिषदों में बार-बार बताया गया है कि ब्राह्मण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ब्राह्मण है। मुद्रा राक्षस ने अपनी खोजपूर्ण पुस्तक 'धर्मग्रंथों का पुनर्पाठ' में एक जगह लिखा है, "दरअसल ब्राह्मण विचारक तर्क और विज्ञान बुद्धि को खारिज करके ब्रह्म-ज्ञान सिद्ध करने की एक असंभव कोशिश करता है। यह कोशिश वह अपनी कुछ खास जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। उसकी एक जरूरत थी, ब्राह्मण को सीधा ब्रह्म से संबद्ध करना, बल्कि ब्रह्म के ही प्रतिरूप सिद्ध करना। फिर वह बताना चाहता था कि जो कुछ वह करता है, वही ब्रह्मज्ञान है। ब्रह्म की महानता सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण यह भी कहना जरूरी समझता था कि उसके ब्रह्म से ही सब कुछ पैदा हुआ, उसी के कारण सब कुछ है और आखिर में उसी में लुप्त होगा। इसलिए उसने तैत्तिरीय उपनिषद में ये बातें लिखीं– नमो ब्रह्मणे, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। यही नहीं जब भी ब्रह्मज्ञान की बात उठी, उसने ब्राह्मण को ही ब्रह्मज्ञानी बताया। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को निराकार, निर्विकार और निर्गुण सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीच-बीच में ब्राह्मण याद दिला देता है कि ब्रह्म वह खुद है।"

जब ब्राह्मण ही खुद को ब्रह्म और ब्रह्मज्ञानी कहता है, तो जाति-व्यवस्था का निर्माता भी ब्राह्मण ही हुआ।

मोहन भागवत के बयान से मनुस्मृति भी झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि उसके भी पहले ही अध्याय में बताया गया है कि चारों वर्णों का निर्माण ब्रह्म ने किया है। यहां ब्रह्म भगवान नहीं है, बल्कि ब्राह्मण द्वारा इसे अपने प्रतिरूप में ही गढ़ा गया था और उसके मूल में ब्राह्मण ही स्वयं है। इसीलिए ब्राह्मण-हत्या को भी ब्रह्म-हत्या कहा जाता था। मनुस्मृति के ग्यारहवें अध्याय में और भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्म ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही वेद है। इस आधार पर मोहन भागवत का कथन गलत कैसे हो सकता है कि जातियां ब्राह्मणों ने ही बनाई हैं।

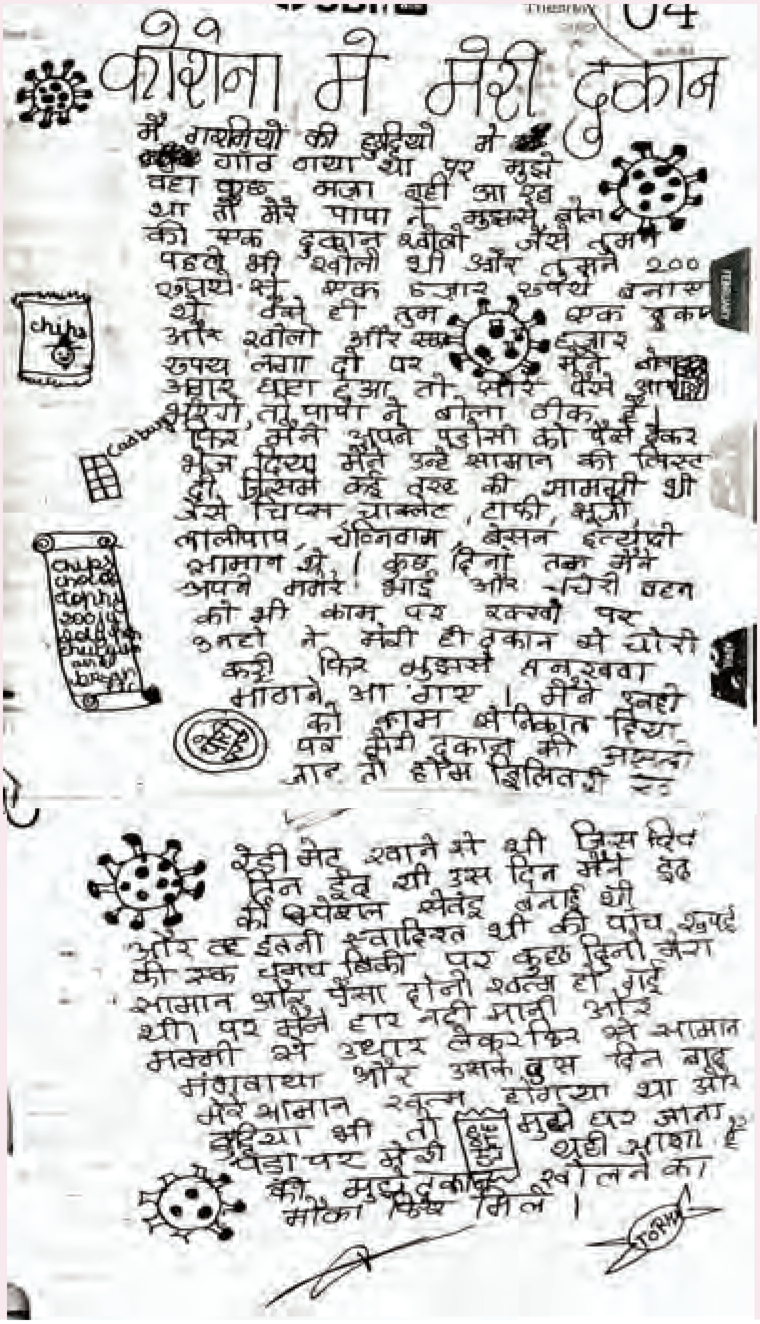
अब इस बात को लेते हैं कि भगवान ने जातियां नहीं बनाईं। क्या भगवान जातियां बना सकते हैं? उत्तर है – भगवान जातियां बना ही नहीं सकते। क्योंकि कुछ भी निर्माण करने से भगवान निराकार, निर्गुण और निर्विकार नहीं रह जाता, बल्कि सगुण हो जाता है। हालांकि ईसाई और इस्लाम धर्मों का ईश्वर भी सगुण ही है। वह सृष्टि का निर्माता माना जाता है, पर अल्लाह या गॉड ने ऐसे मानव-समाज की रचना नहीं की, जिसमें छोटे-बड़े या ऊंच-नीच का भेद हो। उसने सबको समान पैदा किया है। यह एक आदर्श ईश्वर का गुण है, जो होना भी चाहिए। लेकिन, हिंदू धर्म ऐसे किसी ईश्वर की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, जिसके लिए सब समान हों। इसलिए भारत की जनता में इस्लाम और ईसाईयत के एकेश्वरवाद के प्रभाव को कम करने के लिए ब्राह्मणों ने ब्रह्म को स्थापित किया, और आचार्य शंकर ने सूत्र दिया कि ब्रह्म एक है, और दूसरा कोई नहीं, वह सत्य तथा सर्वव्यापी है। पर, समाज में शंकर ने वर्ण-व्यवस्था को ही स्वीकार किया। इस प्रकार ब्राह्मणों ने ब्रह्म को सर्वव्यापी मानकर भी अपनी वर्ण-व्यवस्था नहीं छोड़ी। इसका बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन डॉ. आंबेडकर ने अपने ग्रंथ 'रिडिल्स इन हिंदुइज्म' की बाईसवीं पहेली में किया है। पाठक उसे जरूर पढ़ें।

मध्यकाल में, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, निर्गुण और सगुण का दर्शन बहुत साफ-साफ देखा जा सकता है। निर्गुणवाद का प्रवर्तक और प्रचारक शूद्र वर्ग था, और सगुणवाद के अनुयाई ब्राह्मण थे। कबीर साहेब ने निर्गुण ईश्वर की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी जीव को जन्म देने, मृत्यु देने, सृष्टि रचने और सृष्टि का विनाश करना उसका गुण नहीं है। उसका न कोई वर्ण है, न जाति है, न कुल है और न गोत्र है। उसका कोई लोक नहीं है, वह सर्वत्र है। इसलिए परलोक भी नहीं है, जहां वह रहता है। इस प्रकार, एक ऐसा परमात्मा, जो जीवों को ही उत्पन्न नहीं करता, वह जातियां कैसे बना सकता है? अगर यह मान भी लिया जाए कि कोई ईश्वर निर्माता-नियंता है, तो वह किस मकसद से जातियां बनाएगा? बिना कारण के तो कार्य होता नहीं, फिर जातियों के निर्माण का कारण क्या हो सकता है? क्या इस तरह के अनैतिक कार्य से ईश्वर स्वयं में एक अनैतिक चरित्र का नहीं हो जाएगा? इससे यह तो तय है कि जातियों के निर्माता ब्राह्मण हैं और वे नहीं चाहते कि जातियां खत्म हों। शेष पेज-18 पर

कोरोना में मेरी दुकान



बच्चों में पत्रकारिता और लेखन के प्रति उत्सुकता के लिए बसावन इंडिया एक कालम शुरूकर रहा है जिसमे उनके खुद के द्वारा लिखे हुए खुद के अनुभव, यात्रा विवरण या छोटे छोटे किए गए कारनामों को जगह दी जाएगी इस बार हम दे रहे हैं कोरोना में मेरी दुकान जिसमें हमारे बाल लेखक विधान की कोरोना संकट के दौरान उनके खुद के अनुभवों पर आधारित संस्मरणों को लखनऊ से लिख भेजा है जिसे हम ज्यों का त्यों छाप रहे है।



कोरोना मे मेरी दुकान

मैं गर्मियों की छुट्टियों में गांव गया था पर मुझे वहा कुछ मजा नहीं आ रहा था तो मेरे पापा ने मुझसे बोला की एक दुकान खोलो जैसे तुमने पहले भी खोली थी और तुमने 200 रुपये से एक हजार रुपये बनाए थे वैसे ही तुम एक दुकान और खोलो और ... हजार रुपये लगा दो पर मैंने बोला उधार ... हुआ तो ... पैसे आएंगे, तो पापा ने बोला ठीक है। फिर मैंने अपने पड़ोसी को पैसे देकर भेज दिया मैंने उन्हें सामान की लिस्ट दी जिसमें कई तरह की सामग्री थी जैसे चिप्स चाक्लेट, टाफी, भुजी, लालीपाप, ..., बेसन इत्यादी सामान थे। कुछ दिनों तक मैंने अपने ममेरे भाई और चचेरी बहन को भी काम पर रक्खा पर उन्होंने मेरी ही दुकान से चोरी करी फिर मुझसे तनख्वा मांगने आ गए। मैंने उन्हें काम से निकाल दिया। पर मेरी दुकान की ... और तो होम डिलिवरी ...

रेडीमेड खाने से भी ... जिस दिन ईद थी उस दिन मैंने ईद की स्पेशल सेवई बनाई थी और वह इतनी स्वादिष्ट थी की पांच रुपये की एक प्याला बिकी पर कुछ दिनों मेरा सामान और पैसा दोनों खत्म हो गई थी पर मैंने हार नही मानी और मक्की से उधार लेकर फिर से सामान मंगवाया और उसके दस दिन बाद मेरे सामान खत्म हो गया था और छुट्टियां भी तो मुझे घर आना पड़ा पर मेरी यही आशा है की मुझे दुकान खोलने का मौका फिर मिले।

पेज-17 का शेष ...

इसलिए वे जातियों को बनाए रखने के लिए सदैव जागरूक रहते हैं। ब्राह्मण जातियों को इसलिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि यह उनके लिए लाभ की व्यवस्था है। यही वह व्यवस्था है, जो उन्हें शासक वर्ग बनाकर रखती है। वे ऐसी व्यवस्था को कभी खत्म नहीं करेंगे। इस व्यवस्था को मजबूत रखने के उद्देश्य से ही वे दलितों और ओबीसी के आरक्षण का न सिर्फ विरोध करते हैं, बल्कि उसे खत्म करने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाते हैं।

इसलिए मोहन भागवत का बयान जाति-व्यवस्था को तोड़ने में कोई मदद नहीं करता। उनके बयान पर ब्राह्मणों की बौखलाहट भी यही साबित करती है कि वे किसी भी कीमत पर जाति-व्यवस्था को खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने इतिहास में जाति के खिलाफ विद्रोह करने वाले लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है, और उनकी आवाज़ तक को दफन कर दिया है; एक मोहन भागवत उनके लिए क्या मायने रखते हैं?

मोहन भागवत का यह कहना भी ब्राह्मणों के लिए कोई मायने नहीं रखता कि भगवान के लिए सब समान हैं। क्योंकि भारत के ब्राह्मण सगुणवादी हैं। वे उस भगवान को मानते ही नहीं हैं, जिसके लिए सब समान हैं। वे अवतारों को मानते हैं, वे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवी-देवताओं को मानते हैं, जिनके लिए सब मनुष्य समान नहीं हैं। वे असल में वर्ण और जातियों को मानने वाले भगवानों को मानते हैं।

अंत में मोहन भागवत के बयान पर इस नजरिए से भी विचार किए जाने की जरूरत है कि उन्होंने यह तो कहा है कि जातियां पंडितों ने बनाई हैं, पर जाति-व्यवस्था को खत्म करने पर उन्होंने जोर नहीं दिया है। अगर वह जाति-व्यवस्था को खत्म करने की बात करते, और इसके लिए उन हिंदू धर्मग्रंथों को नष्ट करने पर जोर देते, जो जाति-व्यवस्था में विश्वास सिखाते हैं, तो लग सकता था कि वह वाल्तेयर होना चाहते हैं। लेकिन, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, और उन धर्मग्रंथों को नष्ट किए बिना, जो जाति का समर्थन करते हैं, जाति-व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। ▪



कँवल भारती
मो. - 9412871013

मंडल संकल्प यात्रा





▪ बसावन इंडिया डेस्क

मंडल कमीशन की अभी तक तीन ही संस्तुतियां लागू हुई है, मंडल कमीशन की शेष संस्तुतियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। दिसंबर 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की घोषणा की, 1979 के मार्च महीने में आयोग ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, आरक्षण की मात्रा और योजना, ओबीसी को शैक्षिक रियायतों वित्तीय सहायता और केन्द्रीय सहायता के लिए 1980 में आयोग ने 40 संस्तुतियां दी|

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय के लिए आयोग ने 27% आरक्षण की संस्तुति की। लंबे संघर्ष के बाद बीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की तीन संस्तुतियों को आधे अधूरे रूप में लागू तो कर दिया लेकिन शेष पर अमल नहीं किया गया, जिसके चलते देश की एक बहुत बड़ी आबादी को उसका लाभ नहीं मिल पाया| आज भी सरकारी कार्यालयों में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है।

मंडल कमीशन की शेष संस्तुतियों को लागू किए जाने को लेकर पिछड़े एंव कमेरा समाज के युवाओं का दल मंडल आर्मी सड़क पर है। मंडल कमीशन की संस्तुतियों को लागू हुए तीन दशक से अधिक हो गए, अभी भी ओबीसी को उनका अधिकार नहीं मिल पाया। देश की 52 प्रतिशत से अधिक की आबादी हासिये पर है।

मंडल आर्मी की मांग है कि देश मे जातिगत जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन की शेष संस्तुतियों को लागू किया जाए। अपनी इन्ही मांगों को लेकर मण्डल आर्मी संगठन के नौजवानों द्वारा लगातार जातिवार जनगणना करवाने, मण्डल कमीशन की सभी सिफ़ारिशों को लागू करवाने, जन संख्या अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर 16 अगस्त 2021 से लगातार "मण्डल यात्रा" निकाल कर गांव - गांव जाकर समाज को जागरूक किया जा रहा है।



कैदियों की तरह लाया गया पत्रकार

देश आधी से अधिक आबादी को उनका हक़ और अधिकार दिलाने के लिए मंडल आर्मी के नौजवान मंडल रथ यात्रा को लेकर देश 4 राज्यों के सैकड़ों गाँवों में जा चुके हैं।

मंडल आर्मी के प्रमुख अनिरुद्ध सिंह विद्रोही कहते हैं कि 2021 में हमने दो यात्राएं निकाली जिनमें हम राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में गए। 25 अगस्त 2022 से हमने तीसरी यात्रा की शुरुआत मधेपुरा बिहार से की। इस यात्रा में हमने अब तक बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कार्यक्रम किया है। अब 26 मई से यह यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरु होगी, यह यात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में गांव-गांव से होते लगभग सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में चलेगी। इस यात्रा की अवधि लगभग 09 महीने की होगी, 2024 की मध्य फरवरी में इस यात्रा का समापन कार्यक्रम होगा। इस बार उत्तर प्रदेश में हम आंदोलन की तैयारी के साथ मण्डल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं।

सामाजिक आंदोलनों को चलाने के लिए अर्थ बहुत मायने रखता है, युवाओं में जोश की कमी नहीं है। मंडल आर्मी के युवाओं को धनाभाव का सामना करना पड़ रहा है। इस सन्दर्भ में अनिरुद्ध विद्रोही कहते हैं कि हालांकि हम संसाधन विहीन हैं फिर भी हमने लंबे समय तक इस कार्यक्रम को चला कर यह उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि यदि समाज के जिम्मेदार, जागरूक अधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायी, सामाजिक, संगठनों और जन प्रतिनिधियों का हमें सहयोग प्राप्त होता है तो हम राष्ट्र व्यापी आंदोलन खड़ा कर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को विवश कर सकते हैं। ▪

कैलीफोर्निया राज्य में जातिवाद के खिलाफ कानून



अमेरिका के सिएटल शहर में जाति के आधार पर भेदभाव करने पर पाबंदी लगने के बाद अब अमेरिका के कैलीफोर्निया राज्य में जातिवाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी हो रही है। जल्द ही अमेरिका के कैलीफोर्निया प्रांत में एंटी कास्ट लॉ बन सकता है जिसके बाद जाति के आधार पर किसी से भी भेदभाव करना गैर-कानूनी घोषित हो जाएगा। राज्य की विधानसभा में एंटी कास्ट बिल पेश किया।इस बिल में जाति के आधार पर भेदभाव को गैर-कानूनी घोषित करने की मांग की गई है। इस कानून में नस्ल, जेंडर और फिजिकल डिसेबिलिटी आदि की तरह जाति को भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने का प्रावधान है। यानी जैसे अमेरिका में नस्ल के आधार पर ब्लैक्स के साथ भेदभाव करना दंडनीय अपराध है, वैसे ही अब जाति के आधार पर भेदभाव करना भी गैर-कानूनी हो सकता है। ▪

अनुसूचित जाति पर अत्याचार में वृद्धि

देश में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। सांसद पीपी चौधरी को अतारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने 2018 से 2021 तक देश के अलग-अलग राज्यों में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर हुए अत्यचार के मामलों पर लिखित जवाब में दी।

दलितों पर अत्याचार के मामलों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इस अवधि



के दौरान उत्तरप्रदेश में एससी के लोगों पर अत्याचार के सर्वाधिक 13146 मामले दर्ज हुए। उत्तरप्रदेश में 2018 में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्यचार के 11 हजार 924 मामले दर्ज हुए, 2019 में यह आंकड़ा 11 हजार 829 रहा, 2020 में बढ़कर 12 हजार 714 व 2021 में 13 हजार 146 मामले दर्ज किए गए।

अनुसूचित जाति के प्रति होने वाले अत्याचार के मामलों में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में 2018 में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के 4 हजार 607, 2019 में 6 हजार 794, 2020 में 7 हजार 17 व 2021 में 7 हजार 524 दलित अत्याचार के मामले दर्ज किए गए।

वहीं मध्यप्रदेश देश में दलित अत्याचार के मामले में तीसरे पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2018 में एमपी में 4 हजार 753, 2019 में 5 हजार 300, 2020 में 6 हजार 899 और 2021 में 7 हजार 214 मामले पंजीकृत हुए हैं। ▪

बीएचयू में मनुस्मृति पर शोध



यूपी के बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र और मीमांसा विभाग ने 'भारतीय समाज में मनुस्मृति की प्रयोज्यता' (एसआईसी) पर एक शोध फेलोशिप के लिए एक विज्ञापन निकाला है। चयनित उम्मीदवार को स्टाइपेंड के रूप में 25,380 रुपये प्रति माह मिलेगा। इस विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर दलित नेता और चिंतकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सामाजिक चिंतक राधेश्याम गौतम का मानना है कि मनु स्मृति पर शोध किये जाने का अर्थ है उसकी उपयोगिता को बनाये रखना। फिर से दलितों और पिछड़ों को उनकी पूर्ववत स्थिति में पहुंचाने की साजिश है। ▪

चौथे स्तम्भ को कमजोर करने की कोशिश

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रहीं हैं। निष्पक्षता सिर्फ नाममात्र की रह गयी हैं वास्तव में सरकार अपनी बुराइयों को सुनना नहीं चाहती। यहीं वजह हैं आज कल और कैमरे दोनों पर पहरा हैं मेरा मानना हैं वास्तव में अब देश में

"आपातकाल लागू है, जो भी सवाल पूछेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा।" ऐसे ही एक घटना

संभल के पत्रकार संजय राणा के साथ हुई जिनकों जेल भेज दिया गया। उन्हें मोटे रस्से में बांधकर पुलिस थाने ले गई। उनका अपराध यह था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री गुलाब देबी से गांव के विकास को लेकर सवाल पूछा था। हालांकि, आज उन्हें जमानत मिल गई है लेकिन सवाल इस बात का हैं कलम सिर्फ सत्ता की जी हुजूरी करेगी या आम जन सरोकार के मुद्दे को भी उठाएगीं ।पत्रकार ने सरकार के मंत्री से पूछा, "गांव में एक भी बारातघर नहीं है, ना ही यहां पर सरकारी शौचालय है, आपने कहा था कि मंदिर से लेकर इस रोड को पक्का कराऊंगी, अभी तक ये रास्ता कच्चा है, बाइक से क्या पैदल चलने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। आपने देवी मां के मंदिर की बाउंड्री का वादा भी किया था, आपने अभी तक उस पर भी कार्रवाई नहीं की, आपके दफ़्तर पर गांव के लोग गए, वहां भी सुनवाई नहीं हुई।उस दौरान "मंत्री के साथ मौजूद किसी महिला ने टोका, "आप समस्या रख रहे हो या अपना प्रचार कर रहे हो?"पत्रकार ने कहा, "जब तक जनता की आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी, आप दावा करते हो कि हमने काम किया है, लेकिन एक गांव में कोई काम ही नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे?"पत्रकार गांव के



कैदियों की तरह लाया गया पत्रकार

लोगों से पूछता है, 'आपके गांव में विकास हुआ है'लोगों का जवाब मिला, 'कोई काम नहीं हुआ है' मंत्री भड़क उठी और बोली "तेरी निगाहें मैं बहुत देर से पहचान रही थी, जब तू वहां खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान रही थी, जो बातें तूने कहीं हैं, ये सारी बातें ठीक हैं, अभी समय नहीं निकला है, गांव कुंदनपुर तू भूल गया, कुंदनपुर भी मेरा, बुद्धनगर भी मेरा है, ये दोनों ही गांव मेरे हैं, मैंने जो भी वादे किए हैं, मैं उन्हें पूरा करूँगी। जो काम तुमने बताए हैं, सभी काम होंगे।"इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद पत्रकार के खिलाफ एक बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट के आरोप में केस दर्ज हुआ और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। वहां मौजूद चश्मदीदों ने बीबीसी को बताया कि वहां पर कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अब सवाल है कि पत्रकार को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या पत्रकार ने कोई गलत बात कही थी? क्या सवाल पूछना अपराध है? अगर वह आम युवक होता तब भी क्या सवाल पूछना अपराध है? क्या भारत में लोकतंत्र नहीं है? एक बड़े प्रदेश की मंत्री में एक सवाल सुनने भर का धैर्य न हो तो इसे क्या कहेंगे? क्या यह घटना दूसरे पत्रकारों में भय पैदा नहीं करेगी? क्या यह सरकार लोगों को गूंगा बना देना चाहती है? पूरे देश का मीडिया चरणवंदना में लगा है, कहीं छिटपुट सवाल भी बर्दाशत नहीं हैं? आपातकाल कैसा होता है? फासीवाद कैसा होता है? तानाशाही किसे कहते हैं? क्या इन्हीं हरकतों की वजह से भारत प्रेस फ्रीडम के मामले में फिसड्डी नहीं बना हुआ है? क्या यह लोकतंत्र की हत्या करने वाली मानसिकताओं का नतीजा नहीं है? ऐसे तमाम सवाल आज उभर कर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरु की सरकार में महाकवि बाबा नागर्जुन ने इंदिरा गांधी की मौजूदगी में सुनाया था कविता देश बेचकर नेहरू जी फूले नहीं समाते हैं लेकिन ओ दौर दूसरा था किसी के कविता लिखने से सवाल पूछने से आंदोलन करने से उस समय की सरकारों की भावनाएं आहत नहीं होती थीं न नोटिस और सीबीआई ,ईडी ,इन्कमटैक्स के अधिकारी भेजे जाते थें। लेकिन आज के समय में महिमामंडन की राजनीति हैं इनकी चरणवंदना करतें रहें तो आप अच्छे हैं नहीं किए तो आप देशभक्त नहीं हैं ये साबित करने में तनिक देरे नहीं लगता। आज हिंदी पत्रकारिता का अस्तर काफी हद तक गिर गया हैं। जिसको लेकर कोई भी सरकारें कभी चिंतित नहीं रहीं। लेकिन अगर आपने हाशिए के समाज शोषित, वंचित पीड़ित की समस्या को लेकर इनसे सवाल पूछ लिया आपने गुनाह कर दिया। अब आप को नोटिस ,पुलिस ,बुलडोजर सभी का सामना करना होगा। मेरा मानना हैं पत्रकारों के ऊपर इस तरह से हो रहें उत्पीड़न को लेकर माननीय न्यायालय को अपना कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए जिससे कलम और कैमरें पर पहरा न लगाया जा सकें। ▪



विनोद यादव
मो.न.- 7860084442

मेहुल चौकसी दुनिया धूमने को आजाद



पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी धोखाधड़ी) मामले में हीरा व्यापारी अब इंटरपोल के लिए मोस्ट वांटेड नहीं है। इंटरपोल ने मेहुल चौकसी को बड़ी राहत देते हुए उसके खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया है। लेकिन मेहुल की यह राहत सीबीआई और ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोप हैं जिसके बाद से वह फरार चल रहा है। एंटीगुआ हाईकोर्ट में एक याचिका के बाद इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस वापस लेना पड़ा। मेहुल चौकसी को इंटरपोल से मिली बड़ी राहत पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है।

बिलकिस बानो केस में नया मोड़



सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका में केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कई राजनीतिक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की तरफ से दायर याचिकाओं और बानो की तरफ से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 अप्रैल तय करते हुए कहा कि इसमें कई तरह के मुद्दे शामिल हैं और इसे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है।

बेंच ने गुजरात सरकार को सुनवाई की अगली तारीख पर पक्षकारों को छूट देने वाली संबंधित फाइलों के साथ तैयार रहने का भी निर्देश दिया। बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 11 दोषियों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या की थी। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को दोषियों को राहत देते हुए दोषियों को रिहा कर दिया था। इसके खिलाफ बिल्किस बानो ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और याचिका दायर की।

बानो की वकील एडवोकेट शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पांच बार उल्लेख किए जाने के बाद इस मामले को सूचीबद्ध किया गया है। दो दिन पहले जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने इस मामले का उल्लेख किया गया था, तो शीर्ष अदालत ने गुप्ता को आश्वासन दिया था कि याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच का गठन किया जाएगा। मई 2022 में, जस्टिस रस्तोगी की अगुवाई वाली एक पीठ ने फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार के पास छूट के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था। इस फैसले की समीक्षा के लिए बिलकिस बानो द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में खारिज कर दिया था।

इस बीच, सभी ग्यारह दोषियों को 15 अगस्त, 2022 को रिहा कर दिया गया, जब राज्य सरकार ने उनके क्षमा आवेदनों को अनुमति दी। रिहा किए गए दोषियों के वीरतापूर्ण स्वागत के दृश्य सोशल मीडिया में वायरल हो गए, जिससे कई वर्गों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद दोषियों को दी गई राहत पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गईं। बिलकिस ने दोषियों की समय से पहले रिहाई को भी चुनौती दी है। गुजरात सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दोषियों के अच्छे व्यवहार और उनके द्वारा 14 साल की सजा पूरी होने को देखते हुए केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया है। राज्य के हलफनामे से पता चला कि सीबीआई और ट्रायल कोर्ट (मुंबई में विशेष सीबीआई कोर्ट) के पीठासीन न्यायाधीश ने इस आधार पर दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई कि अपराध गंभीर और जघन्य था। गुप्ता का कहना है कि बिलकिस ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ भयानक हिंसा का सामना किया। इसमें रेप और हत्या शामिल है।

(जनवरी 2023 के जनवरी अंक में बसावन इंडिया ने बिलकिस बानो प्रकरण पर "हाय! बिलकिस तेरी यही कहानी नाम से विस्तृत रिपोर्ट का प्रकाशन किया था)▪

कब क्या क्या हुआ

- 27 फरवरी 2002- साबरमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बो में आग से 59 यात्रियों की जलकर मौत।
- 28 फरवरी 02 – गुजरात में दंगे
- 3 मार्च 02 को बिलकिस के परिवार पर हमला, 5महीने की गर्भवती बिलकिस से गैंग रेप, 3वर्षीय बेटी का क़त्ल। दंगाईयों ने परिवार के 15 सदस्यों को मौत के घाट उतरा
- 2002-03 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से एफआईआर, कोर्ट ने सीबीआई जाँच के आदेश दिए
- जनवरी 04 – सीबीआई ने संदिग्धों आरोपियों को गिरफ्तार किया
- अगस्त 04- केस अहमदाबाद से मुम्बई ट्रांसफर
- जन. 8- निचली अदालत ने 13 लोगों को बलात्कार, साजिश और हत्या का दोषी करार दिया। 11 को उम्र कैद, इस फैसले को दोषियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दिया।
- जुलाई 11- सीबीआई ने बाम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की दोषियों को फांसी की मांग।
- जुलाई 16-दोषियों की अपील पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की
- दिसम्बर 16- हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
- मई 17- 11 दोषियों को उम्र कैद
- मई 22–15 साल से अधिक की जेल की सजा काट चुके दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की मांग
- 15 अगस्त 22 – गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को जेल से रिहाई किया।
- दिसंबर 22-रिहाई को चुनौती देते हुए बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल
- जन. 23-याचिका पर अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी।
- मार्च 23- सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका में केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया

अंबेडकर प्रतिमा के सामने शिवलिंग का निर्माण



अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष बना शिवलिंग

दिल्ली के केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर परिसर में परिसर में डॉ आंबेडकर की प्रतिमा के ठीक सामने महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया। अंबेडकर प्रतिमा के सामने फूलों के एक बड़े शिवलिंग का निर्माण किया गया था। जिन हिंदू रीति रिवाजों का अंबेडकर ने आजीवन विरोध और संघर्ष किया उन्ही को अंबेडकर के साथ जोड़कर उनके संघर्ष का मखौल उड़ाया गया। साथ ही साथ अंबेडकर की विचारधारा के ऊपर हिंदुत्व का लेप लगा कर उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया।

अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष बनाया गए इस शिव लिंग से एक संकेत देने का प्रयास किया गया, अंबेडकरवादियों के लिए यह चुनौती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर परिसर का सभागार को एक धार्मिक संगठन ने बुक कराया था। उक्त धार्मिक संगठन ने अपनी स्थापना के दस साल पूरे होने पर यह आयोजन किया था और आयोजकों ने ही परिसर के प्रवेशारंभ में बने हॉल में, जहां कुर्सी पर आसीन डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है, के सामने शिवलिंग बना दिया। आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भीम, नालंदा और समरेष्ठ नामक तीन सभागार हैं और इन्हें विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा बुक कराया जाता है और इसकी पूरी प्रक्रिया परिसर के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। परिसर के प्रबंधको को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि सभागार परिसर को किस उद्देश्य से बुक कराया गया है, आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सन्दर्भ में समस्त जानकारियां आयोजन कर्ता को देनी होती हैं। इसके बावजूद कि डॉ. आंबेडकर की पूरी विचारधारा में कर्मकांड और आडंबरवाद नहीं है, उस संगठन को आयोजन की अनुमति कैसे दी गई।

इस संबंध में पूर्व सांसद उदित राज का कहना है कि यह आंबेडकर की पूरी वैचारिकी को पलट देने की आरएसएस-भाजपा की साजिश है। यह बेहद निंदनीय है कि जिस महामानव ने समाज को पाखंड मुक्त और समातामूलक बनाने के अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज उनके ही नाम पर बने संस्थान में उनकी ही प्रतिमा के आगे इस तरह का आयोजन किया जा रहा है।

वहीं प्रसिद्ध दलित साहित्यकार व समालोचक कंवल भारती अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस तरह की गतिविधि करने की अनुमति आंबेडकर इंटरनेशनल परिसर में कैसे दे दी गई और दिल्ली में जो तथाकथित आंबेडकरवादी हैं, उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया। भारती ने यह भी कहा कि यह डॉ. आंबेडकर के विचारों को पलट देने की साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि "डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शिवलिंग की स्थापना डॉ. आंबेडकर के प्रति एक अपमानजनक कार्य है। उन्होंने शिवलिंग पूजा को एक घृणित और अनैतिक कृत्य कहा था। पर यह हिंदुओं की सरकार है, आंबेडकर विरोधी भी है। मैं इस शर्मनाक शरारत की घोर निंदा करता हूं।" ▪

***बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका** का संचालन सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है। पत्रिका को आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संपादक मंडल की हर संभव कोशिश है कि खबरों को निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण तरीके से पाठकों तक पहुंचाया जाए। यदि फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो हम अपने सम्मानित पाठकों से आशा करते हैं कि वे हमारा ध्यानकर्षण करेंगे। साथ ही साथ हम आपके लेख और विचारों का basavanindi@gmail.com पर स्वागत करते है। बसावन इंडिया की कोशिश होगी कि वह आपके लेख और विचार संपादन के बाद प्रकाशित करें। यदि जगह के अभाव और मुद्दों के प्राथमिकता में आपके विचार और लेख छूट जाते हैं तो उसे अगले अंक में लेनें की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा।*

विवाहों का बदता स्वरुप



चंदन एवं विनीता डॉ. लालरत्नाकर के साथ शपथ लेने के बाद

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है लेकिन भारत में इसमें धार्मिक कर्मकांड जोड़कर इसे भारी भरकम और बोझिल बना दिया गया। इसे इतना जटिल बना दिया गया है कि लोग इसका आनंद न लेकर इसे बोझ समझते हैं। एक आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति शादी- विवाह में तबाह हो जाता है यही नहीं कभी कभी तो उसे कर्ज भी लेना पड़ता है। जाति आधारित व्यवस्था में विवाह प्रथा को कन्यादान, सात जन्मो का बंधन आदि जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया गया है। कन्या पक्ष को निम्न और वर पक्ष को उच्च माना है।

दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आन्दोलन के जनक ई वी रामासामी पेरियार ने कहा है कि मै विवाह या शादी जैसे शब्दों से सहमत नहीं हूँ। मैं इसे केवल जीवन साहचर्य के लिए एक अनुबंध मनाता हूँ। इस तरह के अनुबंध में मात्र एक वचन और यदि आवश्यकता हो तो अनुबंध के पंजीकरण के एक प्रमाण की जरुरत है। अन्य रस्मो- रिवाज की कहाँ आवश्यकता है? इस लिहाज से मानसिक श्रम, पैसे, उत्साह और उर्जा की बर्बादी क्यों? विवाह को केवल लैंगिक समानता तथा स्त्री-पुरुष के बीच समान व्यवहार के सिद्धांत पर अनुबंध किया जाना चाहिए। पेरियार ने जिस प्रकार के विवाह की कामना की थी अब वह कार्य रूप ले रही है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के जौनपुर और गाजीपुर में दो विवाह समारोह संपन्न हुए ।

जौनपुर जिले के मछलीशहर के कुरनी गाँव में चंदन और कविता का विवाह बिल्कुल सादगीपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। न कोई रथ, न कोई डीजे और न ही कोई पटाके, धीमे धीमे बज रहे संगीत के वातावरण में दोनों वयस्क विवाह मंच पर चढ़े, एक साथ ही मंच के फीते को काटा, बिना मन्त्रों के उच्चारण के दोनों ने एक दूसरे के गले में फूलों का हर डाला और एक दूसरे का चयन कर लिया। जाने माने चिन्तक और समाजसेवी डॉ लाल रत्नाकर



अजीत एवं विनीता के विवाह की फोटो



डॉ. दिनेश पाल एवं खुशबू शपथ पत्र दिखाते हुए

ने दोनों को शपथ दिलवाया और शपथपत्र पर हस्ताक्षर करवाए। न कोई द्वारपूजा, न कोई पाखंड और न ही कोई अन्य औपचारिकता। स्टेज पर दोनों स्टेज पर दोनों परिवारों के परिजनों का परिचय हुआ। लड़का और लड़की पक्ष के लोगों ने दोनों के बारे में अपने अपने संस्मरणों को सुनाया|

चंदन के पिता सरोज कुमार, जो भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक हैं, कहते कि विवाह शादियों में शान शौकत का प्रदर्शन और तड़क भड़क बहुत देख चुका था। प्रत्येक माता पिता यथाशक्ति और कभी कभी सीमा से बाहर जा कर खर्च कर देते हैं। इस खर्चे का अधिकतर भार लड़की पक्ष को वहन करना पड़ता है। धीरे धीरे इसको एक परंपरा का रूप दे दिया गया है। मुझे भी अपने बेटे चंदन की शादी कविता के साथ करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिस दिन शादी की तारीख निश्चित हुई मेरी चिंताएं बढ़ने लगी|

मैने शादी में होने वाली तड़क भड़क, प्रदर्शन,भव्यता, पाखंड आदि से दूर सरल और सुगम तरीके से करने के लिए पुरजोर कोशिश किया। मेरा पूरा परिवार भी पूरी तरीके सहयोग कर रहा था। चंदन ने बिना ताम झाम के बिना डी जे, रथ, पटाखे के सीधे शादी के मंच पर पहुचे जहाँ पर डॉ लाल रत्नाकर जी के अगुवाई में वर वधु ने अपने वैवाहिक जीवन मधुर और सुखद बनाने की शपथ ली।

गाजीपुर में आयोजित विवाह समारोह में अजीत और विनीता का विवाह नए रिवाज से संपन्न हुआ। गाजीपुर के ग्रामीण अंचल जेवल (भवानीपुर) में यह लोगों के बीच चर्चा और परिचर्चा का विषय रहा। स्टेज पर पुरखों के पोस्टर लगे हुए थे, धीमी संगीत के वातावरण मे लोगों को बुद्ध और अन्य महापुरुषों जुडी कहानियां सुना रहे थे। स्टेज पर बैठे अजित, विनीता का इंतजार कर रहे थे। विनीता आई और अजित ने हाथों का सहारा देते हुए, स्टेज पर पहुंचे। पुरखों की जय जयकार के बीच दोनों ने एक दूसरे के गले में फूलों का हार डाला।

अजीत के बड़े भाई अरविंद, जो पेशे से शिक्षक हैं, कहते हैं कि परम्पराओं से हट कर शुरुआत करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, तमाम तरह का विरोध झेलना पड़ता है, कई बार तो स्थिति लड़ाई झगड़े तक आ जाती है। एक लंबे प्रयास के बाद मै अपने परिजनों और लड़की के परिवार वालों को समझाने में सफल हुआ।

पूर्व में, अप्रैल, 2021 में जगलाल चौधरी महाविद्यालय, छपरा में कार्यरत हिंदी के अध्यापक डॉ. दिनेश पाल ने बिना दहेज, बिना पुरोहिती कर्मकांड और न शुभ दिन का कोई मुहुर्त के ही अपना विवाह किया। उन्होंने शादी की तिथि को ऐसे समय में निर्धारित किया, जिसे पुरोहित अशुभ मानते हैं। स्टेज पर डॉ दिनेश पाल और खुशबू ने शपथ ली। पहले लड़की द्वारा शपथ लिया गया फिर लड़का ने लिया और अंततः संयुक्त रूप से दोनों द्वारा शपथ लिया गया। मैरिज हॉल परिसर में मूल निवासी संघ की ओर से किताबों का दो स्टॉल लगाया गया था, जहां युवतियां उत्साह के साथ महिला अधिकारों से जुड़ी किताबें ले रही थीं। उसमें आंबेडकर, फुले और बहुजन वैचारिकी से संबद्ध पुस्तकें थीं।

डॉ दिनेश पाल ने बताया कि हमारे बड़े भाई की शादी बहुत कम



डॉ. दिनेश पाल के विवाह का आमंत्रण पत्र- झब्बा का मुख्य पृष्ठ







विवाह के बदलते आमंत्रण पत्र

कैसे होता है अर्जक विवाह



डॉ. लाल रत्नाकर

अर्जक पद्धति से वैवाहिक संस्कार आधुनिक युग की एक वैज्ञानिक परंपरा के रूप में प्रचलित हो रहा है। यद्यपि इस परंपरा का आरंभ ज्योतिबा फुले ने किया था उन्होंने विवाह में पुरोहितों की दखलअंदाजी को बंद किया था और स्वयं सरल तरीके से विवाह कराने का यह उपाय इजाद किया था जिसको पेरियार ने भी अपनाया और उस पद्धति को आगे बढ़ाने में योगदान किया। कालांतर में उत्तर भारत में माननीय रामस्वरूप वर्मा एवं उनके साथियों ने मिलकर एक अर्जक संघ का गठन किया और जिसमें अर्जक पद्धति से विवाह की परंपरा आरंभ की। आजकल देखने में आया है कि बहुजन समाज के लोग अब धीरे-धीरे परंपरागत पुरोहित पद्धति के शादी विवाह के बंधनों से बाहर आकर पुरोहित विहीन शादियां करना आरंभ कर दिए हैं। कुछ लोग बौद्ध पद्धति से और बहुत सारे लोग अर्जक पद्धति से अपने विवाह संस्कार संपन्न करा रहे हैं।

इसमें विशेष करके वह पढ़े लिखे लोग जो विज्ञान और पाखंड का अंतर समझते हैं उन्होंने अपनी भावी जिंदगी के लिए वैज्ञानिक पद्धति का रास्ता चुना है। जो किसी भी तरह से अंधविश्वास और पाखंड से अपने को अलग कर रहे हैं।

क्या है अर्जक पद्धति?

अर्जक संघ की स्थापना 1 जून 1968 को उत्तर प्रदेश में महामना रामस्वरूप वर्मा ने अपने सहयोगी महामना चौधरी महाराज सिंह भारती एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर की थी ।

यह एक विशाल औरों से हटकर सामाजिक संगठन है। अर्जक संघ जीवन जीने की पद्धति है। अर्जक संघ मानववादी संस्कृति का विकास करने का काम करता है। इसका मकसद मानव में समता का विकास करना, ऊंच-नीच के भेदभाव को दूर करना और सबकी उन्नति के लिए काम करना है। अर्जक संघ 14 मानवतावादी त्योहार मनाता है। इनमें गणतंत्र दिवस, आंबेडकर जयंती, बुद्ध जयंती, स्वतंत्रता दिवस के अलावा बिरसा मुंडा और पेरियार रामास्वामी की पुण्यतिथियां भी शामिल हैं। अर्जक संघ का दर्शन और उसकी विचारधारा बेजोड़ है, अकाट्य है। यह पदार्थवाद एवं मानव समता पर आधारित है।

अर्जक संघ के अनुयायी सनातन विचारधारा के उलट जीवन में सिर्फ दो संस्कार ही मानते हैं- विवाह और मृत्यु संस्कार। शादी के लिए परंपरागत रस्में नहीं निभाई जातीं। लड़का-लड़की संघ की पहले से तय प्रतिज्ञा को दोहराते हैं और एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं।

कोई पैदा होते ही ब्राह्मण, तो कोई वाल्मीकि होता है। ब्राह्मण समाज धर्मग्रंथों का सहारा लेकर सदियों से नीची जातियों का दमन करते आए हैं।

अर्जक विचारधारा के महानपुरुष रामस्वरूप वर्मा जी सिर्फ राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक उच्चकोटि के दार्शनिक, चिंतक और रचनाकार भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है। क्रांति क्यों और कैसे, मानववाद बनाम ब्राह्मणवाद, मानववाद प्रश्नोत्तरी, ब्राह्मणवाद महिमा क्यों और कैसे, अछूतों की समस्या और समाधान, आंबेडकर साहित्य की जब्ती और बहाली, निरादर कैसे मिटे, शोषित समाज दल का सिद्धांत, अर्जक संघ का सिद्धांत, वैवाहिक कुरीतियां और आदर्श विवाह पद्धति, आत्मा पुनर्जन्म मिथ्या, मानव समता कैसे, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन किताबों को पढ़ कर लोग तार्किक होते हैं ।

अर्जक संघ द्विज परंपराओं को चुनौती दे रहा है और बहुजन समाज इसमें शरीक हो रहा है। अर्जक परंपराएं बहुजन समाज के लोगों में इसलिए लोकप्रिय हो रही हैं क्योंकि इसमें पाखंड नहीं है।अर्जक परंपरा में महिलाओं को विशेष स्थान है। अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी वे शामिल होती हैं।अर्जक परंपरा में जितना महत्व बेटों का है उतना ही महत्व बेटियों का भी है।



विवाह का आमंत्रण पत्र

उम्र में हो गई थी पहले तो हमने जाति बंधनों से हट कर शादी करने का मन बनाया था, दूसरे जाति में विवाह चाह रहा था लेकिन अपनी जाति में जो दूसरी उपजाति है वो भी तैयार नहीं होते थे जातिगत बंधन बहुत मजबूत निकले अंततः अपनी जाति की ही दूसरी उपजाति में विवाह करना पड़ा। हमने दहेज़ की कोई मांग नहीं की थी लेकिन खुशबू के परिजनों और संबंधियों ने हमें उपहार दिए उसे आप दहेज़ भी मान सकते हैं।

विवाह के पश्चात् बहू-भोज के पण्डाल में चारों तरफ बहुजन महापुरुषों का पोस्टर टँगवाया था जिसमें उनकी तस्वीर उनके कथन के साथ थी, बहू-भोज के पण्डाल का उद्घाटन अपनी पत्नी ने रिबन काटकर किया, मेरे गाँव का पहला बहू-भोज आयोजन था,मेरे गाँव के कुछ राजपूत लोग फूलनदेवी की तस्वीर देखकर नाक-भँव सिकोड़ रहे थे|

विवाह पर किया जाने वाला खर्च लोगों की 10 या 15 दिनों की औसत आय से अधिक नहीं होना चाहिए। समाज में कुछ लोगों की स्वीकृति पाने और अपनी प्रशंसा सुनने हेतु लोग दो या तीन दिनों के लिए विवाह में अतार्किक ढंग से अत्यधिक खर्च कर देते हैं। खर्चीले विवाहों के कारण कुछ परिवार कंगाल हो जाते हैं।
– पेरियार

बदल रहा है विवाह आमंत्रण पत्र का स्वरुप –

हिंदू परिवारों में आमतौर शादी-विवाह के मौकों पर जो आमंत्रण कार्ड छपते रहे हैं, उनमें शादी की तिथियां और शादी संपन्न होनेवाले दोनों परिवारों के पते छपे होते हैं। उसमें गणेश की कलात्मक फोटो होती है और संस्कृत में श्लोक। वह कार्ड एक दो या ज्यादा हुआ तो तीन-चार पेज। इससे ज्यादा का नहीं होता। दिनेश पाल ने अपनी विवाह में कार्ड का पूरा स्वरुप बदल दिया। उन्होंने 56 पृष्ठों की पुस्तिका के रूप निमंत्रण पत्र छपवाया। दिनेश ने 56 पेज की इस पुस्तिका को 'झब्बा' के नाम से प्रस्तुत किया है, जिसमें तीन पृष्ठ का उनका खुद का लिखा एक संपादकीय है। फिर रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता 'मैं किसान


डॉ. रतनलाल

"व्यक्ति जिंदगी भर पेट काटकर कमाता है, कमाकर एक दिन पटाखे में उड़ा देता है। लोग विवाह कोर्ट में संविधान की शपथ लेकर क्यों नहीं करते है। जो पैसे बचेंगे, उससे अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर खर्च करें। यदि संविधान को मानते है तो सबसे बेहतरीन रास्ता है कि कोर्ट में शादि करें।"

हूं', कबीर, सावित्रीबाई फुले, रैदास की कविताएं, जोतीराव फुले की 'गुलामगिरी', ई.वी.रामासामी पेरियार का आलेख 'पति-पत्नी नहीं, बनें एक-दूसरे के साथी', डॉ. भीमराव आंबेडकर का आलेख 'जाति और श्रम विभाजन', भगत सिंह का आलेख 'मैं नास्तिक क्यों हूं', सिमोन द बोउआर की रचना 'विवाहिता', जगदेव प्रसाद का आलेख 'सर्वहारा', रामस्वरूप वर्मा का आलेख 'धरती को जो जोते बोये, वह धरती का राजा होए' और कांचा आईलैया का आलेख 'मांस और दूध के अर्थशास्त्री' के विचार हैं। ये वे शख्सियतें हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान और दुनिया के असमानता में गर्क समाज को बराबरीपूर्ण समाज बनाने के लिए संघर्षशील रही हैं। इस कार्ड के माध्यम से दिनेश ने अपने समाज को शिक्षित करने के एक जरूरी कार्यभार को भी पूरा किया है। इसका जितना भी स्वागत किया जाए वह कम ही होगा। अंत में वर-वधू का एक संक्षिप्त बायोडाटा भी है।

चंदन ने अपनी शादी का कार्ड बहुत ही साधारण तरीके से छपवाया है। लिफाफे के ऊपर विवाह आमंत्रण और आमत्रित करने वाले का जिक्र है। दो पेज के संक्षिप्त कार्ड के आमुख पर विवाह आमंत्रण लिखा गया है जिसमे उन्होने अपने पुरखों का जिक्र किया है। लड़की और लडके का परिचय करवाते हुए विवाह की तिथि और विवाह स्थल का जिक्र किया है। दूसरे पेज पर विवाह कार्यक्रम का संपूर्ण विवरण दिया गया है। चंदन के विवाह कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता उन्होंने अपनी दादी के नाम से लोगों को कार्ड प्रेषित किया है।

अजित ने भी अपने विवाह कार्ड में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। कार्ड पर उन्होंने काल्पनिक परम्परागत चित्रों के स्थान

पर महापुरुषों के चित्र लगाये हैं। विवाह की समस्त सूचनाओं को छपवाया है।

विभिन्न धर्मों में विवाह–

मुसलमानों में विवाह–

मुस्लिम समुदाय में विवाह एक समझौता है जिसमे दो वयस्क मौखिक या कागजी रूप से सहमती देते हैं विवाह के पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। सक्षमता से तात्पर्य दोनों पक्षकारों का-(i) मुसलमान होना, (ii) वयस्क होना, एवं (iii) स्वस्थचित्त होना।

मुस्लिम विवाह मौलवी की उपस्थिति में संपन्न होता है, मौलवी एक उपाधि (शैक्षणिक डिग्री) होती है जो कोई भी प्राप्त कर सकता है मौलवी पवित्र कुरान की आयतों को पढ़कर निकाह को संपन्न करवाता है।

ईसाईयों में विवाह–

चर्च में लड़का और लड़की दोनों अपने



इसाई विवाह

परिजनों की उपस्थिति में पादरी के सम्मुख के पादरी के कुछ सवालों के जबाव देते हैं, शादी के लिए दोनों की मर्जी पूछी जाती है। इस सवाल का जवाब देना दोनों के लिए जरूरी होता है यदि लड़का और लड़की दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं तो फिर दोनों को एक दूसरे को अंगूठी बदलनी होती है सबसे अंत में शादी के सारे दस्तावेज पर, गवाहों की मौजूदगी में लड़का लड़की को हस्ताक्षर करने होते हैं। इसे रजिस्ट्रार के पास जाकर उन्हें दिया जाता है। ईसाई विवाहों में पादरी का काम यह होता है कि शादी को लेकर दोनों की रजामंदी है की नही। ईसाईयों में पादरी कोई जाति नहीं होती है वल्कि यह सर्वोच्च धर्म गुरु की पदवी होती है जो एक निश्चित शर्तों को पूरा करने के बाद ही दी जाती है।

सिखों में विवाह –

सिखों के विवाह गुरु द्वारे में होते हैं जिसे आनंद कार्य कहा जाता है। ग्रंथी के माध्यम से विवाह के सारे कार्य संपन्न होते हैं।गुरु द्वारे में रजिष्ट्रेशन भी हो जाता है।

हिन्दुओं में विवाह–



हाकम सिंह

“सिखों में विवाह की तारीख दोनों पक्षों द्वारा मिल कर अपनी सुविधा अनुसार तय कर ली जाती है, धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सिखों में विवाह के नियम बहुत उदार है, जाति बंधन भी बहुत जटिल नहीं हैं, पहले तो लोग कोशिश करते हैं कि विवाह अपनी जाति में हो यदि ऐसा नहीं होता है तो वो अन्य विकल्पों की भी तलाश करते हैं जैसे रामदासी सिख हैं तो रामदासी में ही शादी करना पसंद करते हैं यदि बात नहीं बनाती है तो सिखों की अन्य उपजातियों में करते हैं। प्रेम विवाहों में जाति बंधन कोई मायने नहीं रखता है।”

हिंदू विवाहों में अमूमन दो पुरोहित होते हैं, एक लड़के की तरफ से दूसरा लड़की की तरफ से, दोनों ब्राहमण जाति से होते हैं। दोनों मन्त्र पढ़ते है जो संस्कृत में होती है, हिंदू विवाहों में सबसे पहले लडके को विवाह मंडप में लाया जाता है, पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार होता रहता है, फिर लड़की को बुलाया जाता है। मंत्रोच्चारण संपन्न हो जाने के बाद लड़के और लड़की की तरफ से दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं। लडके और लड़की विवाह मंडप में बैठे भर रहते हैं अंत में लड़का लड़की की मांग में सिन्दूर लगता है, सिन्दूर लगा देने के बाद विवाह संपन्न मान लिया जाता है। यूपी बिहार के कुछ क्षेत्रों में लड़की के माता पिता लड़के का पैर धोते हैं और अपने मस्तक से लगाते हैं। यह लगभग चार से पांच घंटे की उबाऊ प्रक्रिया होती है। इसमें सारे अनुबंध मौखिक होते हैं जिसमे लड़के और लड़की की कोई भूमिका नहीं होती है।



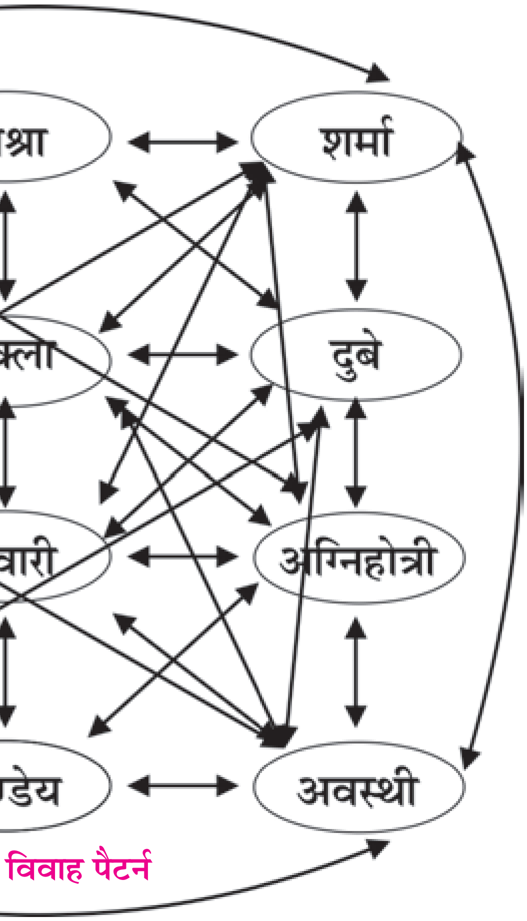
ब्राम्हणों का

हिंदू धर्म की अन्य संस्थाओ जैसे आर्य समाज रिवाज से विवाह होता है जिसमे कागजी कार्यवाही होती है अन्य सभी प्रक्रियाएं लगभग समान होती है। आर्य समाजी विवाहों में यह जरूरी नहीं है कि विवाह संपन्न कराने वाला ब्राहमण जाति से ही हो|

हिन्दुओं के विवाह में विभिन्न जातियों के विवाह के रूप में देखना होगा। दूसरे धर्मों में विवाह के लिए अनिवार्य शर्त दो विपरीत लिंगी का होना, जिनका वयस्क होना अनिवार्य है लेकिन विभिन्न जातियों में वयस्क होना या न होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं हैं, इसमें सबसे अनिवार्य शर्त है कि दोनों का सजातीय होना। पर यह नियम अलग अलग जातियों में अलग अलग है।

ब्राहमण–

ब्राहमण भारत की एकमात्र ऐसी जाति है जो वैवाहिक मामलों में आत्म निर्भर है, ब्राहमणों की अपनी स्वतंत्र विवाह संस्था है। ब्राहमण अपनी उपजातियों में



विवाह पैटर्न

विवाह सम्बन्ध करते हैं। शुक्ला, मिश्रा, तिवारी,शर्मा, दूबे, चौबे उपाध्याय सहित तमाम अन्य ब्राह्मण उपजातियां आपस में विवाह सम्बन्ध स्थापित करते हैं। विवाह संबंधों का इनका एक जाल है। विवाहों सम्बन्ध उनकी उपजातियों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इनकी समस्त उपजातियां वैवाहिक संबंधों के माध्यम से आपस में सामाजिक रूप से जुडी हुई है।

क्षत्रिय-

क्षत्रियों में सगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं। क्षत्रीय अपने गोत्र से इतर अन्य गोत्र में विवाह करते हैं, क्षत्रिय भी विवाह की अपनी स्वत्रन्त्र संस्था विकसित नहीं कर पाए है। इनके विवाहों की वैधानिकता ब्राह्मण मंत्रोच्चारण के पश्चात मिलती है।

ओबीसी जातियों के विवाह के नियम-

तेली-

तेलियों में भी कई उपजातियां है। तेली भी विवाह की अपनी कोई स्वतंत्र संस्था विकसित नहीं कर पाए हैं, ब्राहमणों द्वारा करवाए गए विवाहों को मान्यता है। ये भी आपस में विवाह सम्बन्ध नहीं करते हैं, ऊँच-नीच का भेड़ भाव है छतीसगढ़ के



डॉ.नरेश कुमार साहू

“जाने माने सामाजिक चिन्तक डॉ नरेश साहू कहते हैं कि एक ही जाति या उसके उपजातियों या एक गोत्र, टोटम में शादी करने के कारण बहुत सी जेनिटिक बीमारियां हो जाती है। इसलिए सिकलसेल जैसे बीमारियां होती है इसका एक ही इलाज है अंतरजातीय विवाह या एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह। इसलिए छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत में तेली, कुर्मी,सहित अन्य ओबीसी, आदिवासी व दलित समुदाय अन्य गोत्र,टोटम नाम के साथ विवाह करते हैं। एक गोत्र या टोटम को भाई बहन मानते हैं। इसका साइटिंफिक वजह यही है कि बहुत सारी वंशानुगत बीमारियां न हो। सिकलसेल जैसे बीमारी जो वंशानुगत हो जाती है उसका इलाज केवल केवल अलग अलग रक्त ग्रुप एवं अलग अलग टोटम, गोत्र या जाति से विवाह करना अलग-अलग जातयों में विवाह संभव नहीं है लेकिन अलग अलग गोत्र में विवाह करना संभव है इसलिए समाजिक रुप से एक ही गोत्र या टोटम में शादी विवाह निषेध किया गया है। साथ ही साथ इससे सामाजिक ताने बने को मजबूती मिलती है।”

तेलियों में विवाहों को लेकर तो बाकायदा मेडिकल रिसर्च हुआ|

अहीर-

ओबीसी जातियों में बात अहीरों की की करते हैं। अहीरों में विवाह अपनी ही जाति में होता है। अब से कुछ वर्ष पूर्व तक विवाह बंधन इतने जटिल थे कि उनकी उप जातियों में भी विवाह नहीं होते थे। ग्वाल, ग्वाल में ही शादी करता और धढोर, धढोर में विवाह करता था, धीर धीरे यह बंधन शिथिल हो रहे हैं जागरूक और शिक्षित अहीर अपनी जाति के उप जातियों में विवाह को प्राथमिकता दे रहे हैं। मार्शल कौम होने के बाद भी अहीर अभी भी विवाह की कोई स्वतंत्र संस्था नहीं विकसित कर पाए हैं ब्राहमणों द्वारा करवाए गए विवाहों को ही मान्यता है।

कुर्मी -

कुर्मी में भी विवाह बंधन जटिल हैं कुर्मी जाति के लोग भी अपनी उप जातियों में ही विवाह सम्बन्ध स्थापित करते हैं। वर्मा-वर्मा से तो पटेल पटेल से. बीते कुछ वर्षों में विवाह बंधन शिथिल हुए हैं। अब धीरे धीरे आपस में विवाह सम्बन्ध स्थापित होने लगे हैं लेकिन उन्ही विवाहों को मान्यता है जो ब्राह्मणों द्वरा करवाए जाते हैं।

कोइरी-

कोइरी भी अपनी उप जातियों में विवाह सम्बन्ध नहीं करते हैं। मौर्या, कुशवाहा के यहाँ विवाह सम्बन्ध नहीं करते थे लेकिन धीरे धीरे अब मौर्या और कुशवाहा में विवाह सम्बन्ध होने लगे हैं। इनमे भी ब्राहमणों द्वारा करवाए गए विवाहों को ही मान्यता है, ये भी विवाह की कोई स्वतंत्र संस्था नहीं विकसित कर पाए हैं। कोइरी जातियों में धीरे धीरे बौद्ध रीति विवाह प्रचालन में आ रहा है।

चमार-

गैर सवर्ण हिंदू अछूत जातियों में भी उंच नीच का भेद भाव है चमार एक मात्र ऐसी जाति है जो संक्रमण के दौर से गुजर रही है, चमारों की भी कई उपजातियां हैं रैदासी, रविदासी, कोरी जाटव सहित कई उपजातियां है। इनमे परंपरागत रूप में विवाह अपनी ही उपजाति में करते हैं लेकिन पढ़े लिखे समाजों में अब यह टूट रही है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इनके विवाह की अलग अलग रीतियाँ हैं। ब्राहमणों द्वारा करवाए गए विवाहों को प्राथमिकता है कुछ क्षेत्रों में उनके सजातीय लोग ही पुरोहिताई का काम करते है लेकिन कर्मकांड ब्राम्हणीय ही होते हैं। इनमे बौद्ध रीति से विवाह भी प्रचलन में है

पासी-

पासी जाति में भी कई उपजातियां होती इनके विवाह अपने ही उपजातियों में ही होता है, इनकी भी शादियाँ ब्राहमण ही करवाता है।

जाति व्यस्था वाले समाज में अधिकतर शादियाँ ब्राहमणों द्वारा ही करवाई जाती हैं, विवाहों के मामलों में कोई भी जाति अभी तक स्वतंत्र विवाह संस्था विकसित नहीं कर पाई है। ▪

कुर्मी समाज का बड़ा फैसला
ब्राम्हणों से नहीं कराएंगे पुरोहिताई

कुर्मी चेतना मंच ने सामाजिक पुरोहित तैयार करने का बीड़ा उठाया

भारतीय समाज धर्म और संस्कार में इस कदर बंधा हुआ है कि अनेको कुरितियों के बावजुद भी धार्मिक कर्मकांड और रीती रिवाज को अपना संस्कार मानने लग जाते हैं, और संस्कार में अगर सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ है तो वो ब्राम्हण समाज ही हैं, सभी समाजो में जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार में पूजन कार्य के लिए पुरोहित की पूर्ति करने वाला समाज ब्राम्हण समाज ही हैं, पुरोहित कार्य सीधे तौर से अर्थव्यवस्था से जुडा हुआ हैं। सामान्य से पूजा पाठ, हवन में 2 हजार से लेकर 5 हजार तक की सहयोग राशि या कहें दान दक्षिणा सीधे तौर पर मिलता है आरती की थाली में भी हाथ घुमाने के लिए थोड़ा बहुत चढ़ावा मिल ही जाता हैं। हिन्दू समाज धार्मिक समाज है हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाले भी बिना पूजा पाठ के अपने दिन की शुरुआत नहीं करते और साल में एक बार अपने घर में हवन यज्ञ पूजा में पुरोहित को बुलाना गर्व समझते है।

कबीर, रैदास और महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे लोगों ने समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, इन्हीं कामों में से एक काम था, समाज के ऊँच-नीच को कम करना। सत्यशोधक समाज की स्थापना, धार्मिक कर्मकांड और पुरोहित वर्ग पर ज्योतिबा का कहना था कि जिस तरह बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, कुम्हार का घड़े बनाकर बेचना धर्म नहीं धंधा है, कपडे धोना और प्रेस करना धोबी का धर्म नहीं धंधा है इसी तरह पूजा पाठ करना करवाना और उससे मिलने वाली राशि को दान दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण को देना धर्म नहीं धंधा है।

छत्तीसगढ़ के डॉ. दीनानाथ यादव ने एक सामाजिक रिसर्च किया जिसमे उन्होंने बताया कि देश में ओबीसी समुदाय की आबादी कुल आबादी का लगभग 60 प्रतिशत है इसके बावजूद सामाजिक जागरूकता के मामले में बहुत पीछे है इसका सबसे


ओबीसी पुरोहित

प्रमुख कारण है, पुरोहित वर्ग द्वारा पिछड़े वर्ग के बहुसंख्यक आबादी को नियंत्रित करना, धर्म संस्कार और पूजा पाठ के बहाने मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनके मन में एक तरह का खौफ पैदा कर देना कि पुरोहित के दुसरे विकल्प पर कोई सोच न सके। उनका मानना है कि जो समाज अपना बुद्धिजीवी नहीं बनाएगा और समाज को जागरूक करने का काम नहीं करेगा वो समाज वक्त के साथ कभी अपडेट नहीं हो सकता, और यही उसके पिछड़ने का कारण भी हैं।

छत्तीसगढ़ के ओबीसी समुदाय ने इस मर्ज का इलाज निकाला है और अपने ओबीसी समुदाय के विभिन्न जातियों को पुरोहित प्रशिक्षण देने का जिम्मा भी उठाया है, लेकिन ***ओबीसी अगुवा के रूप में कुर्मी समाज ने बहुत तेजी से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कदम उठाते हुए अपने 9 पुरोहित तैयार कर लिए। दरअसल 2019 में कूर्मि समाज ने कूर्मि पुरोहित बनाने का बीड़ा उठाया था जून 2019 में पांच दिवसीय पुरोहिती प्रशिक्षण प्रज्ञापीठ चांटीडीह में धार्मिक संस्कार व पूजन कार्य करने नौ कूर्मि पुरोहित प्रशिक्षित होकर तैयार हुए*** / इसमें डॉ.शारदा कश्यप, हरप्रसाद सिंगरौल, पुरुषोत्तम कश्यप, भरत लाल कश्यप, गिरीश मायाराम कश्यप, अनिल कश्यप, लक्ष्मीनारारण कश्यप, देवप्रसाद कश्यप, केजाराम कश्यप समाज के पुरोहित बने और तब से लेकर अब तक गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार, विवाह समारोह में मुख्य पूजा पाठ से लेकर फेरा, सिन्दूर, और वचन दिलाने का काम यही पुरोहित करने लगे हैं। 2019 के शुरुआती दिनों में समाज के लोगों को ऐसे पुरोहित स्वीकार करने में थोडा अटपटा लगा, क्योंकि उन्हें ब्राम्हण पुरोहित की आदत लग चुकी थी, लेकिन कुर्मी चेतना मंच के पदाधिकारीयों ने सामाजिक जन जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत इस पुरोहित कार्य को लेकर प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया और अन्य पिछड़े समाज के लोगों ने इसे अच्छा सामाजिक सरोकार बताया तो उसके बाद कुर्मी समाज के लोगों ने कुर्मी पुरोहित से ही पूजा पाठ जैसे तमाम संस्कार करवाना अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझने लगे। पुरोहित प्रशिक्षण के मुख्य प्रशिक्षक प्रह्लाद कौशिक का कहना है कि सभी को सामान्य जीवन में उपयोग आने वाले संस्कार व कर्मकांड के विषय में बारीकियों के साथ प्रशिक्षण दिया गया है और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले वालों को प्रमाण-प्रत्र प्रदान किया गया है जिसके आधार पर कुर्मी समाज द्वारा इन प्रशिक्षित पुरोहितों के माध्यम से संस्कार कार्य कराया जा रहा है। कुर्मी समाज के बाद ओबीसी समुदाय के अन्य जातियों ने भी इसी तरह अपने समाज में पुरोहित की आवश्यकता को देखते हुए कर्मकांड पूजा पाठ, शुभ कार्यों के लिए सामाजिक पुरोहित को स्थान देने की पहल कर रहे हैं, यादव – लोहार – धोबी- मरार- कलार- देवांगन समाज सहित अन्य पिछड़े समाज में भी अब सामाजिक पुरोहित की मांग होने लगी हैं, सभी ओबीसी समुदाय के लोग अब पुरोहित कार्य को जातिमुक्त समाज के तौर पर देखने लगे हैं, आने वाले समय में सभी समाज लगभग सभी कार्य के लिए ब्राम्हण समाज को नहीं और सामाजिक पुरोहित को हाँ बोलने वाले हैं। ▪



डॉ. जितेन्द्र सोनकर
मो.: +91 98919 03531

आरक्षण बचाओं ऐतिहासिक महाआन्दोलन


चंद्रशेखर रावण की रैली

भोपाल के भेल दशहरा मैदान में देश के कोने कोने से लोगों का जन शैलब उमड़ पड़ा। पांच लाख की अधिक संख्या में लोग अपने चहेते नेता भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण को देखने और सुनने पहुंचे। मध्य प्रदेश में मान्यवर कांशीराम की रैली के पश्चात् दूसरी बार इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए।

बीती रात से ही जुटने लगे थे कार्यकर्ता

भीम आर्मी के शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रात भर से ही भोपाल में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए थे। हालांकि प्रशासन ने भीम आर्मी को केवल 20 हजार लोगों की ही अनुमति दी थी, लेकिन 5 लाख से अधिक लोग भोपाल पहुँच गए। जिसको देखते हुए देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया।

क्या कहा भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने –

भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने कहाकि यह लड़ाई तीसरी आजादी की लड़ाई है। कौन-सी आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई बिना एकता के नहीं लड़ी जा सकती है। मध्य प्रदेश का 90% समाज जो बहुजन समाज है पिछड़ा, दलित, आदिवासी व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को संगठित होना पड़ेगा। उनके नेताओं को नहीं उनके समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तब हम तीसरी आजादी की लड़ाई जीतेंगे। ▪



रेखा भारती (एडवोकेट)
मो.: 9621206371

छाये रहे मुद्दे-

- » देश में जातिगत जनगणना कराई जाए
- » प्रदेश सरकार से प्रमोशन में आरक्षण का कानून बनवाने के लिए
- » कमजोर वर्ग के लोगों पर प्रशासन के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराने के खिलाफ
- » संविधान की प्रस्तावना से सेक्यूलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने के षड्यंत्र के खिलाफ
- » आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए
- » केंद्र और राज्य सरकारों से आर्थिक बराबरी का कानून लागू करवाने के लिए
- » एससी-एसटी एक्ट के तहत मृतक के परिवार को दी जाने वाली छतिपूर्ति की राशि बढ़ाकर 30 लाख करवाने के लिए
- » मनरेगा की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर न्यूनतम 700 किए जाने के लिए
- » शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर सर्वनाश रुकवाने के लिए
- » मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी महाविद्यालय में चुनावी प्रक्रिया बहाल कराने के लिए
- » निजी करण के नाम पर सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने के खिलाफ
- » निजीकरण के सारे आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र के खिलाफ और ओबीसी की जाति जनगणना 27% आरक्षण लागू करने के लिए
- » एससी/ एसटी/ ओबीसी, मुस्लिम अल्पसंख्यक के बहन बेटियों और बच्चों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ
- » बेकसूर लोगों के घरों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाने के खिलाफ
- » गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को जीएसटी से मुक्त करवाने के लिए


चंद्रशेखर रावण की रैली

बसावन इंडिया के सम्मानीय लेखकों से निवेदन

कोई भी सामग्री भेजने से पहले संपादक-मंडल से परामर्श कर लें। पत्रिका के मिजाज़ के अनुरूप सामग्री ही स्वीकार की जाएगी। किसी भी प्रकार के राग-द्वेष से भरी या तथ्यहीन सामग्री न भेजें। प्रकाशन संबंधी समस्त निर्णय संपादक-मंडल के विवेक पर निर्भर है। अपने लेख, रिपोर्ट यूनिकोड में ही भेजें। सभी सामग्री मेल से ही स्वीकार की जायेगी। किसी भी समसामयिक घटना की रिपोर्टिंग अथवा कार्यक्रमों की रपटें महीने की 5 तारीख तक भेजें। भेजे जाने वाले लेखों की शब्द-सीमा 1500 से 2000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मऊः पावरहाउस ऑफ टेक्सटाइल वीवर्स



मऊ का रेलवे स्टेशन

मऊ का इतिहास आजमगढ़ से जुदा नहीं है, 19 नवम्बर, 1988 से पहले यह आजमगढ़ जिले का हिस्सा था। आजमगढ़ जिला मुख्यालय से दूरी अधिक होने के कारण 19 नवम्बर, 1988 को एक स्वतंत्र जिले के रूप में मान्यता दे डी गई। मऊ का ज्ञात अभिलेखीय इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है, जब यह समूचा इलाका घोर घना जंगल था। यहाँ बहने वाली नदी के आस-पास जंगली व आदिवासी जातियाँ निवास करती थीं। वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार देवव्रत का कहना है आजमगढ़, मऊ और आसपास के के भौगोलिक क्षेत्र चरवाहों और कृषि के बेहद अनुकूल क्षेत्र रहा है। दो आब की उपजाऊ मिट्टी और जंगल का इलाका पशुपालन के लिए बड़े-बड़े मैदानों और खेती के लिए उपजाऊ जमीन, उनके बसने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थियां रही होगी। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि आज भी आजमगढ़, मऊ एवं आसपास की अधिकांश जनसंख्या खेतिहर, पशुपालन व्यवसाय और पशुओं से जुड़ें व्यवसायी लोंगों की है ।

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

सन् 1028 के आस-पास के इस क्षेत्र में मऊ नट का शासन था। कब्जे को लेकर मऊ नट एवं मलिक बंधुओं के बीज भीषण युद्ध हुआ,जिसमें मऊ नट का भंजन(मारा गया) हुआ और इस क्षेत्र को मऊ नट भंजन कहा गया जो कालान्तर में मऊनाथ भंजन हो गया। मऊनाथ भंजन के इस नामकरण को लेकर भी कई विचार है। कुछ विद्वान इसे संस्कृत शब्द ''मयूर'' का अपभ्रंश मानते ह, तो कुछ इसे टर्की भाषा का शब्द मानते हैं। टर्की में ''मऊ'' शब्द का अर्थ है पड़ाव या छावनी। मऊ नाम की कई जगहें ह, लेकिन उनके साथ कुछ न कुछ स्थानीय विशेषण लगे हुए हैं जैसे- फाफामऊ, मऊ आईमा, जाज मऊ, मऊनाथ भंजन आदि।

इस इलाके पर अपना वर्चस्व कायम करने के बाद बाबा मलिक ताहिर ने, आज जहाँ चैक है उसके उत्तर अपना केन्द्र बनाया जो आज भी मलिक ताहिरपुरा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार उनके भाई मलिक कासिम ने चैक के दक्षिण को कासिमपुरा के नाम पर आबाद किया। मलिक ताहिर के फौज में शामिल ओहदेदार सिपाहियों ने कुछ-कुछ दूरी पर अपने-अपने नाम पर इलाकों को आबाद किया, जो आज भी हुसैनपुरा, बुलाकीपुरा, मिर्जाहादीपुरा, कासिमपुरा, मोहसिनपुरा, न्याज मुहम्मदपुरा, पठानटोला, आदि मुहल्लों के रूप में मौजूद हैं। मलिक भाइयों के आगमन के बाद यह इलाका धीरे-धीरे आबाद होता चला गया।

मौर्य एवं गुप्त वंश के राजाओं का दीप निर्वाण होने के पश्चात् मुगल शासन काल में यह स्थान जौनपुर राज्य अन्तर्गत था। इसके पूर्व 1540-1545 के मध्य इस क्षेत्र में तत्कालीन बादशाह शेरशाह सूरी का आगमन दो बार हुआ। शेरशाह सूरी दरगाह में रह रहे सूफी संत मीराशाह से मिलने आया था। उसकी बेटी महाबानो मीराशाह के सानिध्य में ही रह रही थी। मऊ नगर का पुराना पुल जो 1956


मऊ का वस्त्र उद्योग

मऊ में मौजूद वस्त्र एवं परिधान उद्योगों में फाइबर से कपड़ा बनाया जाता है जिससे फिर वस्त्रों तथा वस्त्र आधारित उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। मऊ में लगभग हर घर में करघा मौजूद है जिससे साड़ी, लंगोटी इत्यादि वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ उत्पादित साड़ियों को कारीगरों द्वारा उत्कृष्ट कढ़ाई तथा ज़री से सजाया जाता है। इन साड़ियों की उत्तर प्रदेश एवं भारत के अन्य प्रदेशों में भारी माँग है। इसलिये मऊ को साड़ी उत्पादन, ज़री कार्य एवं कशीदाकारी के कार्यों से जाना जाता है।

की बाढ़ में धाराशाही हो गया, शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाया गया था। बताते हैं कि पुल निर्माण में देर हो जाने के कारण ही शेरशाह सूरी द्वारा पेशावार से कोलकाता तक बनवाया गया ऐतिहासिक मार्ग (ग्राण्ट टंक रोड) इधर से नहीं गुजर सका।

सन् 1629 में मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासन काल में यह इलाका उनकी लड़की जहाँआरा को मिला। नगर के वर्तमान स्वरूप की नींव जहाँआरा के शासन काल में ही पड़ी। जहाँआरा बेगम ने यहाँ कटरा में अपना आवास एवं शाही मस्जिद का निर्माण करवाया और उसकी सुरक्षा के लिए उसे फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। फौज को रहने के लिये बनाई गयी बैरकों के अवशेष आज भी विद्यमान है। जहाँआरा ने शाही कटरा क्षेत्र में 16 से 17 फीट नीचे भूमिगत सुरंग भी बनवाया था, जिसके अवशेष आज भी जमीन के अन्दर खुदाई के दौरान यत्र-तत्र पाये जाते हैं। गत् वर्ष स्थानीय नगर पालिका के कटरा क्षेत्र के जिन दो स्थानों पर नलकूप की बोरिंग करायी गयी वह 17-18 फीट जाकर फेल हो गयी। कटरे में शाही कोठरियां के दक्षिण-पश्चिम भाग में शाही परिवार का आवास था। यहाँ इमाम खाना का अवशेष पिछले दिनों तक था। शाही परिवार के साजो-सामान खच्चरों पर लाद कर यहाँ लाये गये थे। इन्हें लाने वालों की पीढ़ी आज भी यहाँ आबाद है और खच्चरों से ही ढुलाई का काम करके अपना जीवन यापन करती है। मुगल परिवार के साथ मजदूर, कारीगर व अन्य प्रशिक्षित श्रमिक भी आये थे, जिन्होंने यहाँ बुनाई कला को जन्म दिया। हथकरघा बुनाई से सम्बद्ध सूत कातने वाले लोग यहाँ गोरखपुर से आकर आबाद हुए। उनके रहने के लिए दो मुहल्ला कतुआपुरा पूरब व कतुआपुरा पश्चिम बनाया गया। बताते हैं कि भाई औरंगजेब के नाम पर बेगम जहाँआरा ने एक नया मुहल्ला औरंगाबाद आबाद किया तथा मऊनाथ भंजन का नाम अपने नाम पर जहाँनाबाद कर दिया, लेकिन यह नाम लोकप्रिय न हो सका और मऊनाथ भंजन उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा।

उल्लेखनीय है कि जहाँआरा बेगम जब यहाँ नव निर्माण करा रही थी तो उनके साथ मजदूरों के अतिरिक्त जो लोग यहाँ आये उनमें अधिकांश दस्तकार थे और उनमें मुख्य वर्ग कपड़ा बनाने वालों का था जो यहाँ स्थायी रूप से आबाद हो गये। यहाँ आये अधिकांश दस्तकार ईरानी, अफगानी अथवा तुर्की मूल के थे। मऊ की स्थानीय भाषा जो अपने ढंग से निराली मानी जाती है, में अधिकांश शब्द फारसी, तुर्की व ईरानी भाषा के पाये जाते ह, जो आज अपना वास्तविक अर्थ खो चुके हैं।

मऊ में मौजूद वस्त्र एवं परिधान उद्योगों में फाइबर से कपड़ा बनाया जाता है जिससे फिर वस्त्रों तथा वस्त्र आधारित उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। मऊ में लगभग हर घर में करघा मौजूद है जिससे साड़ी, लंगोटी इत्यादि वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ उत्पादित साड़ियों को कारीगरों द्वारा उत्कृष्ट कढ़ाई तथा ज़री से सजाया जाता है। इन साड़ियों की उत्तर प्रदेश एवं भारत के अन्य प्रदेशों में भारी माँग है। इसलिये मऊ को साड़ी उत्पादन, ज़री कार्य एवं कशीदाकारी के कार्यों से जाना जाता है।

अठ्ठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में जौनपुर के शासन से पृथक करके इस भू-भाग को आज़मगढ़ के राजा आजमशाह को दे दिया गया।

सन् 1801 में आज़मगढ़ और मऊनाथ भंजन ईस्ट इंडिया कम्पनी को मिले और यह क्षेत्र गोरखपुर जनपद में शामिल कर लिया गया। सन् 1932 में आज़मगढ़ स्वतन्त्र जिला बनाया गया जो स्वाधीनता के बाद 1988 तक कायम रहा। पूर्ववर्ती जिला आजमगढ़ जनपद में सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति मऊ से होती थी, किन्तु इसके विकास का प्रयास नगण्य था। जनपद मुख्यालय यहाँ से 45 कि0मी0 दूर होने के कारण यहाँ के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। मऊ को जनपद बनाने की मांग कई वर्षों से होती रही जो अन्ततः 19 नवम्बर,1988 को पूरी हुई और प्रदेश के मानचित्र में एक अलग जनपद के रूप में मऊ का सृजन हुआ। ▪


मऊ की साड़ियां

ऑनलाइन परीक्षा आरक्षित वर्ग के लिए खतरा?

▪ **अरविन्द यादव**



ऑनलाइन परीक्षा देते हुए छात्र

डिजिटल इण्डिया बनाने के लिए बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर बातें की जा रही है, आन लाईन परीक्षाएं, डिजिटल लेनदेन, डिजिटल वोटिंग आदि आदि। अब प्रश्न यह उठता है कि जब देश की एक बहुत बडी जनसँख्या ठीक से मोबाईल नहीं चला सकती तो कम्पूटर कैसे चलाएगी? डिजिटल इंडिया के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। आधी अधूरी तैयारियों के साथ डिजिटल दौर देश की एक बडी आबादी पर भारी पड़ने जा रहा है। उसी आधी अधूरी तैयारियों में ऑनलाइन परीक्षाये है। जिसमे बडी ही आसानी से कम्पूटर विशेषज्ञों द्वारा प्रतियोगी छात्र छात्राओ के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। जब तक ऑनलाइन सिस्टम फुलप्रूफ न हो जाय तब तक ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाये और ईवीएम उचित नहीं है। ग्रामीण लोग ईवीएम पर और ग्रामीण परिवेश से निकल कर बाहर आया प्रतियोगी छात्र कम्पूटर पर सहज नहीं हो पाते है। यह प्रतियोगी छात्रो के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और यह संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के भी खिलाफ है। ऑनलाइन परीक्षाये भेदभावपूर्ण है।

ऑनलाइन परीक्षा कई दिनों में होती है प्रत्येक दिन का विषय वस्तु अलग-अलग होता है तो जिस टैलेंट का मापन करने के लिए टेस्ट बनाया जाता है उस टैलेंट में एकरुपता नहीं आ सकती बल्कि टैलेंट के स्तर में विभिन्नता आ जाती है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एक दिन के टेस्ट का सब्जेक्ट कुछ और दूसरे दिन कुछ और तीसरे दिन कुछ और चौथे दिन कुछ और... आदि लेकिन आफलाइन परीक्षा में विषय वस्तु एक ही रहता है विषय वस्तु का क्रम बदल दिया जाता है जिससे एक दिन में आयोजित होने वाली आफलाइन प्रतियोगिता परीक्षा में जिस टैलेंट का मापन करने हेतु टेस्ट लिया जाता है उस टैलेंट का एक रुपीय मापन करता है जबकि ऑनलाइन प्रतियोगिता कई दिनों में आयोजित होती है प्रत्येक दिन का विषय वस्तु अलग-अलग होता है और जिस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए टेस्ट लिया जाता है वह कभी भी उस टैलेंट का एक रूपीय मापन नहीं कर सकता वह विभिन्न रुपीय मापन करता है जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्णतया गलत और दोषपूर्ण है जिसके द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र छात्राओं के साथ बड़ी आसानी से अन्याय कर दिया जाता है।

तकनीकी रुप से ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा पारदर्शी बिल्कुल नहीं है इसके साफ्टवेयर को हैकरों द्वारा आसानी से हैक कर अपने लोगों को आसानी से परीक्षा में उत्तीर्ण कराया जा सकता है। प्रतियोगी छात्रों को पता भी नहीं चलता है। उदाहरण- चाइना ने भारतीय बैंकों के एटीएम का साफ्टवेयर हैक किया और अपने देश के नागरिकों के एटीएम पर भारतीयों का पिन एलाट कर दिया तब चाइनीज अपने एटीएम से अपनी करेंसी निकाल रहे थे और भारतीयों के खाते से बैलेंस कट रहा था। अतः ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा में साफ्टवेयर हैकिंग कर आसानी से प्रभावित किया जा सकता है इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश की सब इंस्पेक्टर परीक्षा एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सीजीएल परीक्षा में हैकरों ने आसानी से घुसपैठ कर ली।

ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षार्थीयों की अनारक्षित (सवर्ण)/आरक्षित(पिछड़ा दलित आदिवासी) श्रेणी का पता परीक्षा कराने वाली एजेंसी को होता है इसी के अनुसार प्रश्न पत्र दिया जाता है तो ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसियां भी विषय वस्तु एक ही रहता है लेकिन प्रश्नों के क्रम भी पिछड़ा दलित आदिवासी को कठिन प्रश्न पहले और आसान प्रश्न बाद में तथा सवर्ण जाति को आसान प्रश्न पहले और कठिन प्रश्न बाद में परीक्षा कराने वाली एजेंसियां आसानी से कर देती है और आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों के साथ ऐसा अन्याय करती है इसका पता किसी को भी नहीं चल सकता। इसके बाद दूसरा तरीका आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को रोकने के लिए नारमलाइजेशन का लगाया जाता है जिस दिन ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा में पिछड़ा दलित आदिवासी समाज के छात्र छात्राओं की संख्या 95% होती है उस दिन नारमलाइजेशन का प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन जिस दिन सवर्ण जातियों के छात्रो छात्राओं की संख्या 95% होती है उस दिन नारमलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है और सीधे तौर पर उनको प्राप्त अंकों में छूट देकर प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया जाता है।

ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पता चलता है कि ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा प्रयोग इस लिए लाया गया है कि आरक्षित (पिछड़ा दलित आदिवासी) वर्ग के छात्र को अनारक्षित वर्ग (जो सवर्ण जातियों के लिए आरक्षित हैं) की मेरिट में जाने से रोकने के लिए लाई गई परीक्षा प्रणाली है। समय रहते विरोध नहीं किया गया तो पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए इसका परिणाम बहुत ही घातक होने वाला है। इसका पर्दाफाश नहीं किया गया तो भारत बड़ी आसानी से मुस्लिम शासन और अंग्रेजी शासन के बीच के दौर में पहुंच सकता है। अतः डिजिटल इंडिया भारत में पिछड़े दलित आदिवासियों को मिले संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने का डिजिटल मेथड है। ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा के खिलाफ पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को मुखर होना चाहिए। ▪

सदस्यता रसीद

पत्राचार का पता : देशराज एडवोकेट, 12बी/284, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.) प्रतिशत मो.: 9415767238

मैं बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के लिए सदस्यता ले रहा / रही हूं।

श्री / श्रीमती : ....

पता पिन कोड सहित : ....

मोबाईल नं. : .... ईमेल आईडी : ....

नगद राशि शब्दों में : ....

PhonePe
ACCEPTED HERE

☐ वार्षिक ₹ 500/-　☐ 2 वर्ष ₹ 1000/-　☐ 5 वर्ष ₹ 2500/-

☐ 10 वर्ष ₹ 5000/-　☐ आजीवन ₹ 10,000/-

Bank Name	:	State Bank of India Main Branch, Azamgarh (U.P.)
AC Holder Name	:	Basavan India
AC No.	:	40640205456
IFSC Code	:	SBIN0000014

प्राप्तकर्ता का नाम हस्ताक्षर

Rate Card

Ad On Page	Rate	Colour/BW	Print Area
Full Page Front Inside	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back Cover	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back In Side	30,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	20,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	10,000/-	B/W	19 cm x 13cm
Quarter Page	10,000/-	Colour	123.5 Sqm
Quarter Page	5,000/-	B/W	123.5 Sqm
1/8 Page	5,000/-	Colour	61.75 Sqm
1/8 Page	3,000/-	B/W	61.75 Sqm

विज्ञापन के लिए संपर्क करें : +91 9415767238, +91 9453171770

बसावन नामा

आपके सामने प्रस्तुत है हमारे पिछले अंकों के बारे में हमारे सुधिपाठकों की प्रतिक्रिया जो कि हमारे पास विभिन्न माध्यमों से भेजी गई है।

'बसावन इंडिया' पत्रकारिता के उसूलों के लिए प्रतिबद्ध समसामयिक मासिक पत्रिका है। पत्रिका की जनपक्षधरता ने समता, बंधुता और न्याय में विश्वास रखने वाले तरक्कीपसंद लोगों के बीच इसे तेजी से लोकप्रिय बनाया है। संपादक नरेंद्र प्रताप के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से प्रकाशित 'बसावन इंडिया' ने फरवरी 2023 अंक में 'रामचरितमानस पर मचे रार' को कवर स्टोरी बनाया है। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चन्द्रशेखर के रामचरितमानस के कुछ चौपाई पर दिये बयान को संविधान की भावना के अनुरूप समझने की कोशिश की गई है तथा रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की मंशा की पोल खोली गई है। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पत्रिका ने 'रामायण विरोध की क्रोनोलाजी', 'गीता प्रेस का गोरखधंधा', 'लोहिया और रामायण', सहित संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। रामचरितमानस को घर-घर तक पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों के प्रयास और इस पुस्तक के ताजा संस्करण में 'ताड़ना' शब्द का अर्थ बदलकर 'शिक्षा' करने के प्रसंग को भी पत्रिका ने कवर किया है। मिथिलेश सिंह यादव 'अमरदेशवा, बेगमपुरा बनाम रामराज्य' शीर्षक आलेख में कबीर और रैदास को जनसरोकारी कवि तथा तुलसीदास को मनु का साफ्टवर्जन ठहराते हुए लिखते हैं, 'इतना पढ़ने-लिखने के बाद भी यदि सबाल्टर्न समाज का कोई व्यक्ति तुलसीदास के लिखे की आलोचना न कर सके तो समझिए कि रैदास और कबीर का सारा जीवन व्यर्थ ही रहा ।' इस अंक में बागेश्वर धाम जैसे उपक्रमों के माध्यम से समाज में फैलाये जा रहे अंधविश्वास, असुरक्षा और पाखंड के कारोबार को हिंदुत्ववादी एजेंडे के अनुरूप बताते हुए इस धंधे के विविध पक्षों का पोस्टमार्टम किया गया है ।

नरेश नदीम
राजद समाचार,
पटना, बिहार

सामाजिक सरोकारों को समेटे हुए बसावन इंडिया देश की नामचीन पत्रिकाओं को टक्कर दे रही है। पत्रिका के लेख समसामायिक मुद्दों पर आधारित बड़े ही स्पष्ट और अपने सभी विचारों को बेबाकी से प्रस्तुत किये जाते है। जनवरी में अंक में प्रकाशित बिल्किस बानों की रिपोर्ट दिल को छू गई। संपादक महोदय से अनुरोध है कि इसी तरीके से अनछुए मुद्दों को प्रकाशित करते रहे। बसावन इंडिया की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं...

श्रीमती हमीदा खान
रायपुर, छत्तीसगढ़

मैगजीन प्राप्ति के लिए संपर्क करें

एडवोकेट देशराज (लखनऊ)
9415767238

परिभाषा (दिल्ली एनसीआर)
8826063330

तेजबहादुर (भोपाल)
9406955327

कृष्णा पैकरा (अम्बिकापुर)
8839884273

संजीत बर्मन (बिलासपुर)
9754737875

कोमल प्रसाद (कुशीनगर)
9565869539

राम सिंह यादव (आजमगढ़)
9415085600, 9454479600

अनिल दीप चौधरी (जौनपुर)
9554687948

प्रमोद कुमार (जौनपुर/खुटहन)
9506473500

प्रदीप चौहान (जौनपुर/सदर)
7985658300

प्रवीन कुमार (गाजीपुर)
9415888054

संजय कुमार (चंदौली)
9415978381

मनोज कुमार (सोनभद्र)
9005800506

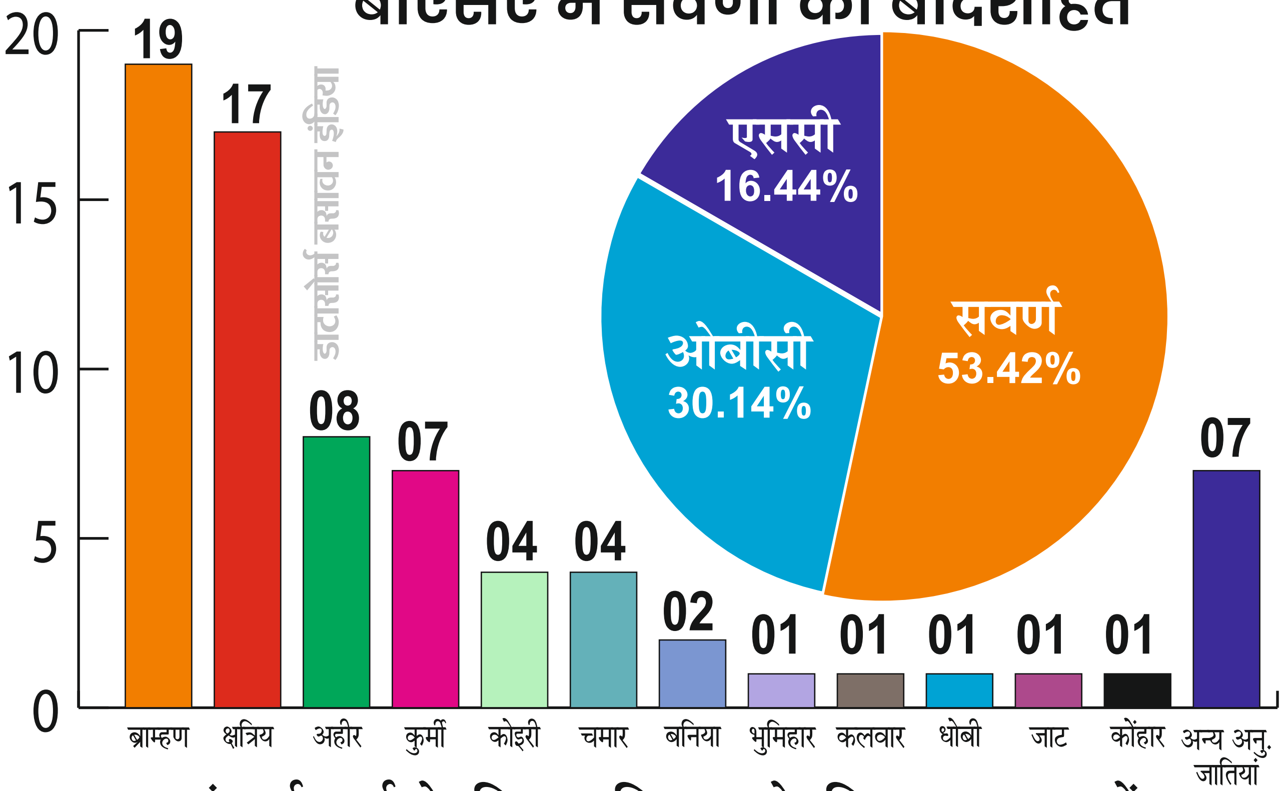
विनय कुमार (बलिया)
9415659396

विजय कुमार (वाराणसी)
9506722313

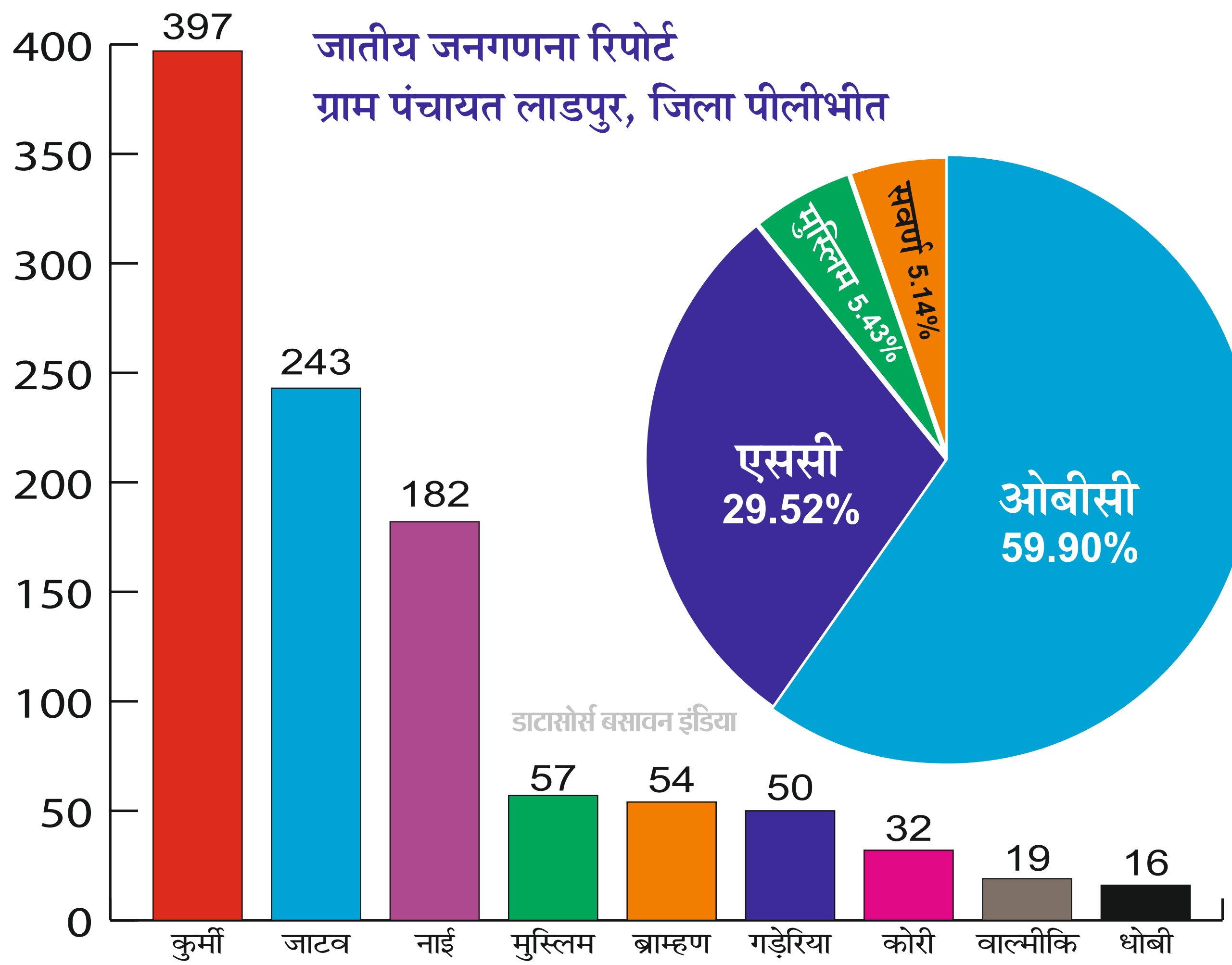
अरविंद कुमार गदर (प्रयागराज झूसी)
7651961448

प्रयागराज में लक्ष्मी चौराहे पर हीना पुस्तक केंद्र पर भी उपलब्ध है।

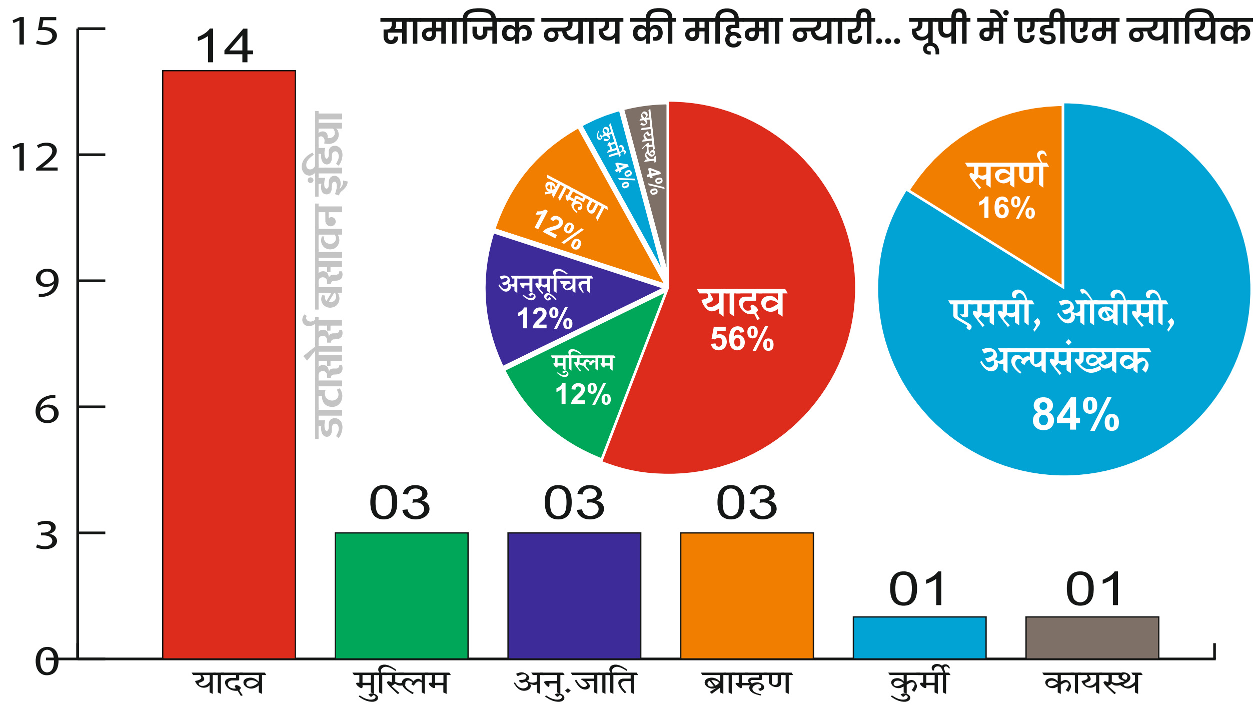
बीएसए में सवर्णों की बादशाहत



ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 15 पढ़ें।



ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 14 पढ़ें।



ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 13 पढ़ें।